Seventeenth Series, Vol. XII No.7

Wednesday, July 28, 2021
Sravana 6, 1943 (Saka)

LOK SABHA DEBATES

(Original Version)

Sixth Session

(Seventeenth Lok Sabha)

(Vol.XII contains Nos. 1 to 10)

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

EDITORIAL BOARD

Utpal Kumar Singh

Secretary-General
Lok Sabha

Suman Arora

Joint Secretary

Suman Rattan

Director

Narad Prasad Kimothi
Srivilasa Pandey

Joint Director

Meenakshi Rawat
Editor

© 2021 Lok Sabha Secretariat

None of the material may be copied, reproduced, distributed, republished, downloaded, displayed, posted or transmitted in any form or by any means, including but not limited to, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of Lok Sabha Secretariat. However, the material can be displayed, copied, distributed and downloaded for personal, non-commercial use only, provided the material is not modified and all copyright and other proprietary notices contained in the material are retained.

C O N T E N T S

Seventeenth Series, Vol. XII, Sixth Session, 2021/1943 (Saka)
No. 07, Wednesday, July, 28, 2021/Sravana 6, 1943 (Saka)

S U B J E C T	P A G E S
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos. 121 to137	10-47
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 138 to 140	48-115
Unstarred Question Nos. 1381 to 1610	116-744

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE 746-753

MESSAGE FROM RAJYA SABHA 754

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

296th Report 755

STATEMENTS BY MINISTERS 756-758

(i)(a) Status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 220th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Working Conditions in Non-Border Guarding Central Armed Police Forces (Central Reserve Police Force, Central Industrial Security Force and National Security Guard) pertaining to the Ministry of Home Affairs 756

(b) Status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 221st Report of the Standing Committee on Home Affairs on Working Conditions in Border Guarding Central Armed Police Forces (Border Security Force, IndoTibetan Border Police, Sashastra Seema Bal and Assam Rifles) pertaining to the Ministry of Home Affairs

Shri Ajay Misra Teni 757

(ii) Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 232nd Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region

Shri B. L. Verma 758

MATTERS UNDER RULE 377 761-791

(i) Need to provide funds for projects under CRF in Jammu, Poonch and Rajouri in J&K

Shri Jugal Kishore Sharma 761-763

(ii) Need to set up a Mega Food Park and a Food Processing Unit in Rajgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

Shri Rodmal Nagar 765-766

(iii) Need to make available bamboo to Kamar tribe in Mahasamund Parliamentary Constituency, Chhattisgarh for manufacturing bamboo products and also provide market for their products

Shri Chunnilal Sahu 767

(iv) Regarding facilitating SC/ST students to pursue education in foreign countries

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki 768

(v) Regarding demands of the people from Darjeeling hills, Terai and Dooars region
Shri Raju Bista 769-770

(vi) Regarding increase in police per Lakh Population Ratio (PPR) in Odisha
Shrimati Aparajita Sarangi 772

(vii) Regarding Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Bihar
Shri Gopal Jee Thakur 773-774

(viii) Regarding setting up of IT sector on NTC land in Rajnandgaon Parliamentary Constituency
Shri Santosh Pandey 775

(ix) Need to run classes in two shifts in Kendriya Vidyalaya Mashrak, Saran district, Bihar
Shri Janardan Singh Sigriwal 776

(x) Need to release arrears of salaries, gratuity and other allowances in respect of employees of Lal Imli Mill, Kanpur, Uttar Pradesh.
Shri Satyadev Pachauri 777

(xi) Need to extend the services of Intercity train (02529/30) upto Deoria district, Uttar Pradesh
Dr. Ramapati Ram Tripathi 778

(xii) Need to expedite setting up of an Airport at Dhalbhumgarh in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand
Shri Bidyut Baran Mahato 779

(xiii) Need to establish an AIIMS in Itaki, Ranchi, Jharkhand

Shri Sudarshan Bhagat 780-781

(xiv) Need to construct railway line between Bilara and Bar in Rajasthan

Shri P.P. Chaudhary 782

(xv) Need to convert Godhra-Shamlaji Highway into six lane

Shri Ratansinh Magansinh Rathod 783

(xvi) Regarding stoppage of trains at Wadsa railway station, Gadchiroli district

Shri Ashok Mahadeorao Nete 784

(xvii) Regarding shortage of vaccines in Kerala

Shri T.N. Prathapan 785

(xviii) Regarding opening a new ESI Hospital in Ludhiana

Shri Ravneet Singh 786

(xix) Regarding handing over HLL Biotech Limited unit to Tamil Nadu

Dr. T. Sumathy(A)Thamizhachi Thangapandian 787

(xx) Regarding inclusion of eligible persons under NFSA

Shri Margani Bharat 788

(xxi) Regarding pension under EPS-95 Scheme

Dr. Shrikant Eknath Shinde 789

(xxii) Need to expedite the implementation of City Gas Distribution Scheme in Bihar

Shri Chandeshwar Prasad 790

(xxiii) Regarding utilization of land vested with HPCL at Edapallycottah, Kollam

Shri N.K. Premachandran 791

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021 792-798

AND

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) BILL, 2021

Shri Rao Inderjit Singh 795-796

Motion to Consider 795

Clauses 2 to 18 and 1 797

Motion to pass 797

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS ,2021-2022 799-806

AND

DEMANDS FOR EXCESS GRANTS-2017-18

Demands – Voted 805-806

APPROPRIATION (NO.4) BILL, 2021 807-809

Motion to introduce 807

Motion to Consider 808

Clauses 2, 3 and 1 808

Motion to pass 809

APPROPRIATION (NO.3) BILL, 2021 810-812

Motion to introduce 810

Motion to Consider 811

Clauses 2 ,3 and 1 811

Motion to pass 812

***ANNEXURE – I**

Member-wise Index to Starred Questions 787

Member-wise Index to Unstarred Questions 788-794

***ANNEXURE – II**

Ministry-wise Index to Starred Questions 795

Ministry-wise Index to Unstarred Questions 796

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shri Om Birla

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shrimati Rama Devi

Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki

Shri Rajendra Agrawal

Shri Kodikunnil Suresh

Shri A. Raja

Shri P.V. Midhun Reddy

Shri Bhartruhari Mahtab

Shri N.K. Premachandran

Dr. Kakoli Ghosh Dastidar

SECRETARY GENERAL

Shri Utpal Kumar Singh

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Wednesday, July, 28, 2021/Sravana 6, 1943 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[HON. SPEAKER *in the Chair*]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्नकाल ।

प्रश्न संख्या 121, श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी ।

…(व्यवधान)

11. 0 ½ hrs

At this stage, Shri Hibi Eden, Dr. Amar Singh, Sushri Mahua Moitra, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

11.01 hrs

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 121, श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी ।

(Q.121)

SHRI TALARI RANGAIAH : Sir, out of two coal blocks allocated to Andhra Pradesh Mineral Development Corporation (APMDC), the Madanpur Southern coal mine in Korba district of Chhattisgarh State comes under proposed Lemru Elephant Reserve … (*Interruptions*) Considering the same, is the Central Government planning to allocate a different coal block to the State of Andhra Pradesh to avoid coal shortage in the State? … (*Interruptions*)

SHRI PRALHAD JOSHI: Sir, this is basically a question regarding the SHAKTI policy as to how we are allocating coal to the power project holders and such things … (*Interruptions*) It is not directly related … (*Interruptions*) However, I would like to clarify that, since commercial mining is already in place and it is successfully going well… (*Interruptions*) I am confident that even in the second tranche of the commercial mining, it will also be successful … (*Interruptions*)

As of now, through the allocation route, हम आज की तारीख में किसी भी राज्य को कोल माइन नहीं दे रहे हैं।… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 122, डॉ. संजय जायसवाल ।

(Q. 122)

डॉ. संजय जायसवाल : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने लोक अदालतों के बारे में विस्तृत वर्णन किया है।... (व्यवधान) लेकिन माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न यह है कि अगर सिविल डिस्प्युट्स में दोनों पक्ष तैयार हैं, तो उसे लोक अदालतें बहुत अच्छी तरह से निपटाने का काम करती हैं।... (व्यवधान) लेकिन आज के समय में बहुत-से कमर्शियल डिस्प्युट्स हैं, जैसे चेक बाउंस हो जाना आदि और ये छोटे डिस्प्युट्स हैं। उसी तरह से, कभी-कभी दो पड़ोसियों के बीच में झगड़ा हो जाता है, उसमें एक-दो थप्पड़ चल जाते हैं, जिसके कारण दोनों पड़ोसियों के घर को बेचने की नौबत आ जाती है।... (व्यवधान) क्या माननीय मंत्री जी यह सोच रहे हैं कि जो कमर्शिल डिस्प्युट्स के छोटे मामले हैं या जो क्रिमिनल केसेज के अन्दर आते हैं, जो लोक अदालतों में नहीं आते हैं, लेकिन जिनकी सजा एक वर्ष से कम है और इस तरह के कानून के जो केसेज होते हैं, उनको समाप्त करने में लोक अदालतों की भी भूमिका होनी चाहिए।... (व्यवधान) इससे न केवल कोर्ट्स पर मुकदमों का लोड कम होगा, बल्कि इस तरह के डिस्प्युट्स को अगर दोनों पार्टियाँ सामंजस्य से सॉल्व करने को तैयार हों, तो उनको एक उचित फोरम मिलेगा, जहाँ से वे अपनी दिक्कतों को सॉल्व कर सकेंगे। मंत्री महोदय से मेरा यही प्रश्न है।... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष जी, हमारे मित्र डॉ. संजय जायसवाल जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हम न्याय को लोगों के द्वार तक ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि देश में न्याय की ऐसी व्यवस्था बने कि आम जनता को जल्द से जल्द न्याय मिल सके।... (व्यवधान) इसके लिए लोक अदालत एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से लोगों को जल्द न्याय मिल सकता है। माननीय डॉ. संजय जायसवाल जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इस बार पैनडेमिक के बावजूद ई-लोक अदालत के माध्यम से वर्चुअल हियरिंग की गई है। डॉयवोर्स केस को छोड़ कर मोटर

एक्सीडेंट्स क्लेम्स, फैमिली डिस्प्यूट्स, लेबर इम्प्लॉयमेंट केसेज और सिविल केसेज की ई-लोक अदालत के माध्यम से हियरिंग हुई है।... (व्यवधान) पैनडेमिक के दौरान भी न्याय की प्रक्रिया जारी रही है। मैं अभी-अभी कानून मंत्री बना हूं और यह चाहता हूं कि इस संबंध में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि किस तरह से कानून व्यवस्था को और अच्छा किया जाए।... (व्यवधान) हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव नम्बर्स आए हैं और मैं आगे भी हियरिंग में तेजी लाने का भरोसा देता हूं कि हमारे मंत्रालय की तरफ से इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।... (व्यवधान)

डॉ. संजय जायसवाल : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और मैं उनके उत्तर से संतुष्ट हूं। हम सभी को न्याय दिलाने के लिए कार्य करते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट जजेज को हाई कोर्ट में जाने का जो मौका मिलता है उस प्रक्रिया में जजेज को न्याय नहीं मिल पाता है।... (व्यवधान) कॉलेजियम सिस्टम इतना प्रभावी हो जाता है कि नीचे की अदालतों से जिन्हें हाई कोर्ट में जजेज बनना चाहिए, वे बन नहीं पाते हैं।... (व्यवधान) मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जब कोर्ट हर कार्य में पारदर्शिता की बात करता है, तो कोर्ट में जजेज की नियुक्ति का जो कॉलेजियम सिस्टम है, उसमें इस तरह का व्यवहार होता है कि नियुक्ति को प्रभावित किया जाता है। जैसे लोक अदालत ट्रांसपेरेंट है, उसी तरह से कॉलेजियम सिस्टम में भी पारदर्शिता लाने के लिए मंत्री जी आगे कुछ सोचेंगे।... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, यह सवाल बहुत गंभीर और संवेदनशील भी है। सदन के सभी सदस्यों को मालूम है कि ज्यूडिशियरी अपने आप में एक इंडीपेंडेंट बॉडी है। इस वजह से उनका अपना एक सिस्टम है।... (व्यवधान) लेकिन जब हम लोक अदालत की बात करते हैं, तो पाते हैं कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से इसका सारा एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म, कम्पोजिशन, स्ट्रक्चर तय किया गया है, जिसकी डिटेल मैं यहां नहीं देना चाहता हूं क्योंकि बहुत समय लगेगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि व्यवस्था बनी हुई है चाहे वह कॉलेजियम सिस्टम हो, चाहे वहां से

रिक्मेंडेशन करने का सिस्टम है ।... (व्यवधान) सभी प्रकार का सिस्टम बना हुआ है, उसी कम्पोजिशन सिस्टम के माध्यम से कांस्टीट्यूट किया जाता है।... (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि देश में सस्ता और त्वरित न्याय देने के लिए लोक अदालतें कदम उठा रही हैं।... (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से लोक अदालत के बारे में उनकी एक सकारात्मक पहल है और काफी विस्तार से उत्तर दिया है। इसी प्रकार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट में केसेज की पेंडेंसी है, उसे देखते हुए क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ज्यादा स्थापना जिला स्तर पर करेंगे? Justice delayed Justice denied, यदि जस्टिस डिले हो जाता है, तो जस्टिस डिनाई हो जाता है, इसलिए जल्दी न्याय देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की ज्यादा स्थापना करने का विचार है, तो उत्तर प्रदेश में कितनी फास्ट ट्रैक कोर्ट्स की स्थापना करेंगे? ... (व्यवधान)

श्री किरेन रिजीजू : महोदय, देश में करीब 4 करोड़ से ज्यादा केसेज पेंडिंग हैं और ज्यादातर लोअर कोर्ट्स में केसेज पेंडिंग हैं। लोअर कोर्ट्स में जो केसेज पेंडिंग हैं, वे बहुत बेसिक हैं। अभी-अभी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का समारोह हुआ, जिसमें मुझे सम्मानित किया गया। मैंने वहां जो बात कही है, वह मैं सदन को बताना चाहता हूं। हम यह मानते हैं कि लोअर कोर्ट में गरीब और आम जनता को यदि दस-दस साल तक न्याय नहीं मिलेगा, तो इस विषय में हमें सोचना होगा और यह बहुत चिंता की बात है।... (व्यवधान) यदि लोअर कोर्ट्स में कोई भी केस यदि तीन साल से ज्यादा पेंडिंग हो जाता है, तो मैं मानता हूं कि हम सभी को इसकी चिंता करनी चाहिए। ज्यूडिशियरी की अपनी प्रक्रिया है और उसके काम पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ज्यूडिशियरी को सपोर्ट देने के लिए सरकार तैयार है।... (व्यवधान) हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने अभी हाल ही में केबिनेट डिसीजन के माध्यम से लोअर ज्यूडिशियरी को सपोर्ट करने के लिए कई स्ट्रक्चर सैंक्शन किए हैं। कोर्ट हॉल्स,

लॉयर हॉल्स, टायलेट्स के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो काफी कमियां थीं, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और राज्य सरकारों से मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि वे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में साथ दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा जजेज हों और जजेज की ज्यादा संख्या होने से पेंडेंसी ऑफ दि केसेज में कमी आएगी। यह रेश्यो आपस में एक-दूसरे से मिला हुआ है।... (व्यवधान) मैं मानता हूं और हमारी यह प्राथमिकता रहेगी, विशेषकर लोअर कोर्ट्स में पेंडेंसी ऑफ दि केसेज है, इस संख्या को हम कम करेंगे।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: बहुत हो गया। आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-123, श्री शंकर लालवानी।

... (व्यवधान)

(Q. 123)

श्री शंकर लालवानी : धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही विस्तार के साथ प्रश्न का उत्तर दिया, उसके लिए उनको धन्यवाद। ... (व्यवधान) माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में खनिज कानून संशोधन बिल पास किया गया। ... (व्यवधान) इसमें बहुत सारे पुराने अनावश्यक प्रावधानों को हटाया गया है। खनन की खुली नीति बनाई गई है। ... (व्यवधान) सिंगल विंडो के माध्यम से क्लीयरेंस पॉलिसी के सरलीकरण, पारदर्शी और हेल्दी कम्पिटीशन के लिए यह नीति बनाई गई है, जिसके लिए मैं केंद्र सरकार को धन्यवाद देता हूं। ... (व्यवधान)

मैं माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कोयला आयात कम करने के लिए और घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई नीति बनाई है? ... (व्यवधान) अगर बनाई है तो बताएं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी? मैं यह भी जानना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : सर, जैसा कि माननीय सदस्य श्री शंकर लालवानी जी ने कहा, उसके संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि कोयला क्षेत्र में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हम बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं। ... (व्यवधान) जो लोग अभी चिल्ला रहे हैं, वर्ष 2014 से पहले सब डिस्क्रिशन इन्हीं के पास ही थे। ... (व्यवधान) इनकी पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस से चिट्ठी आती थी और उसी हिसाब से अलॉटमेंट हो जाता था। आज इन लोगों को यहां आकर सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहिए। प्रश्नों पर माननीय सदस्यों का अधिकार है। ... (व्यवधान) 350 से ज्यादा माननीय सदस्य प्रश्नों के उत्तर सुनना चाहते हैं, फिर भी कुछ सदस्य पिछले छः सात दिनों से लगातार बाधा डाल रहे हैं। ... (व्यवधान) मैं इसका खंडन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अभी जो इम्पोर्ट होता है, वह दो तरह का है। ... (व्यवधान) पहला तो कोकिंग कोल का इम्पोर्ट होता है। कोकिंग कोल पर्याप्त मात्रा में हमारे पास नहीं है। ... (व्यवधान) उसे हम इम्पोर्ट करते हैं। उसमें भी जो हमारे पास अवेलेबल कोकिंग

कोल है, उसमें ऐश कन्टेंट ज्यादा है। ऐश कन्टेंट को कम करने के लिए वॉशिंग की व्यवस्था भी हम कर रहे हैं। ... (व्यवधान) जहां तक थर्मल कोल की व्यवस्था का प्रश्न है, उसके लिए हमने कोल इंडिया को निर्देश दे दिया है। अभी हमने कोल इम्पोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम भी शुरू किया है। ... (व्यवधान)

जहाँ-जहाँ इम्पोर्ट हो रहा है, उस इम्पोर्ट को मॉनिटर करके, मैंने कोल इंडिया के चेयरमैन और कोल इंडिया के डायरेक्टर को निर्देश दिया है कि जो कंपनियाँ कोल इम्पोर्ट कर रही हैं, आपको उन सभी के पास जाकर हमारा कोयला ऑफर करना चाहिए।... (व्यवधान) इम्पोर्ट कम करना चाहिए।... (व्यवधान) जहाँ तक इम्पोर्ट रेट का सवाल है, यूपीए कालखंड में इम्पोर्ट रेट 22.86 परसेंट था।... (व्यवधान) एनडीए काल में वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक यह 1.96 हो गया था और एनडीए-2 में यह मायनस भी हो रहा है।... (व्यवधान) आज के दिन में हमारे पास ऑलमोस्ट लगभग 79 मिलियन टन ऑफ कोल उपलब्ध है।... (व्यवधान) हमारे पास इतनी बड़ी मात्रा में कोयला है।... (व्यवधान) हमारे पास पर्याप्त मात्रा में कोयला है।... (व्यवधान) We are the fourth largest, as far as the coal reserves are concerned. In spite of that, we are importing.

इन लोगों की, यूपीए की, कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों के कारण हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था।... (व्यवधान) हम आज के दिन में कोकिंग कोल के अलावा बहुत कम मात्रा में इम्पोर्ट कर रहे हैं।... (व्यवधान) आगे भी हमारा प्रयास है, हम पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि इम्पोर्ट कम हो जाए।... (व्यवधान) इसके लिए हमने कमर्शियल माइनिंग भी शुरू कर दी है।... (व्यवधान) कमर्शियल माइनिंग के साथ-साथ कोल इंडिया की क्षमता बढ़ाने के लिए हम बहुत से उपक्रम ले चुके हैं।... (व्यवधान) मैं अपने कोल इंडिया के कर्मचारियों और अधिकारियों का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि कोविड के समय में भी रिकॉर्ड उत्पादन करते हुए, कोयले का जो इम्पोर्ट होता था, उन्होंने उसे

कम करने का बहुत प्रयास किया है।... (व्यवधान) इसके अलावा हमने कमर्शियल कोल माइनिंग में जो कुछ भी किया है, वह एक बहुत बड़ा इतिहास है।... (व्यवधान) उसे कभी भी ये लोग नहीं कर पाए।... (व्यवधान) मोदी जी के नेतृत्व में हमने उसे किया है।... (व्यवधान) हम ऑलरेडी बीस ऑक्शन कर चुके हैं।... (व्यवधान) रोलिंग ऑक्शन अभी भी चल रहा है।... (व्यवधान) उसमें भी बहुत अच्छा रेस्पांस हमें मिल रहा है।... (व्यवधान) तीन-चार वर्ष में जब इसका प्रोडक्शन शुरू होगा, धीरे-धीरे हमारा पूरा कोयला इम्पोर्ट, जिसे सब्स्टिट्यूटेबल इम्पोर्ट कहते हैं, वह सब बंद हो जाएगा।... (व्यवधान) मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ।... (व्यवधान) माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है।... (व्यवधान) मैं उनका अभिनन्दन भी करना चाहता हूँ।... (व्यवधान)

श्री शंकर लालवानी : महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तार से उत्तर दिया है।... (व्यवधान) मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ।... (व्यवधान) मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो खनन की कंपनियाँ काम कर रही हैं, उनका जो सीएसआर का फंड है।... (व्यवधान) क्या वे उसका उपयोग मध्य प्रदेश के विकास के लिए करेंगे? ... (व्यवधान) अगर वे कंपनियाँ ऐसा करती हैं तो ठीक है और अगर वे ऐसा नहीं कर रही हैं तो क्या यहाँ से ऐसे कोई निर्देश दिए जाएंगे? ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : हमारी सरकार ने सीएसआर फंड सभी कंपनियों के लिए ऑलमोस्ट अनिवार्य किया है।... (व्यवधान) मध्य प्रदेश में जो भी कंपनियाँ हैं, अन्य कोई कंपनी, जो भी मध्य प्रदेश में है, चाहे वह कोल की हो या अन्य किसी भी चीज की हो, अगर वे प्रपोजल देते हैं तो कंपनी जरूर उसे कंसीडर करेगी।... (व्यवधान) This is the affair of the respective company. हम डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं।... (व्यवधान) Let him give the proposal to the company and the company will, definitely, examine it.

डॉ. निशिकांत दुबे : महोदय, आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। ... (व्यवधान) मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में एक बड़े मिशन "आत्मनिर्भर भारत" की तरफ कोल इंडिया ने कदम उठाया है।... (व्यवधान) मेरे छोटे-छोटे सवाल हैं।... (व्यवधान) मैं जिस राज्य से आता हूँ, वहाँ कोयला तो है, लेकिन जमीन की अनुपलब्धता के कारण वह कोयला निकल नहीं पाता है।... (व्यवधान) जैसे मेरे गोड्डा जिले में, मेरे दुमका जिले में इस देश का सबसे बड़ा रिजर्व है।... (व्यवधान) पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, डीजल का प्राइस बढ़ रहा है।... (व्यवधान) गैस हमारे पास नहीं है, पेट्रोल हमारे पास नहीं है।... (व्यवधान) कोल की दो टेक्नोलॉजी हैं।... (व्यवधान) कोल टू लिक्विड, जिसमें पेट्रोल के प्राइस काफी कम हो जाएंगे और दूसरा, कोलबेड मीथेन, जो कोल से निकलेगा।... (व्यवधान) इसमें जमीन भी कम निकलती है और उस कोयले का हम उपयोग कर पाएंगे।... (व्यवधान)

क्या मंत्री महोदय उस तरह की जगहों पर जहाँ हम एक लोकल ऐजिटेशन के कारण कोयला नहीं निकाल पा रहे हैं, कोल टू लिक्विड और कोलबेड मीथेन के लिए प्रोत्साहित करेंगे?... (व्यवधान) इसमें सरकार की क्या पॉलिसी है? ... (व्यवधान) यदि मंत्री जी इसके बारे में बताएंगे तो अच्छा होगा।... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : महोदय, माननीय निशिकांत दुबे जी बहुत ही अनुभवी और लर्नेड मैम्बर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया है।... (व्यवधान) As a country, we should understand that in spite of having so much of coal, हम अभी भी इम्पोर्ट कर रहे हैं।... (व्यवधान) जब मैं कोल मंत्री बना, प्रधान मंत्री जी ने मुझे कोल मंत्री के रूप में अपॉइंट किया, तब उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करते हैं तो मैं समझ सकता हूं।... (व्यवधान) अगर हम कोयले का इम्पोर्ट करते हैं तो यह पाप है, यह प्रधान मंत्री जी ने कहा था।... (व्यवधान) उस बात को मद्देनजर

रखते हुए हमने माननीय प्रधान मंत्री जी के गाइडेंस में बहुत कोशिश की है। जो लैंड का मामला है, भूमि का मामला है, जहां एक्विजिशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है, उसमें स्टेट गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कोऑपरेट करना है।... (व्यवधान) अगर उधर कोयले का उत्पादन और मिनरल्स का उत्पादन होता है, उधर जो कुछ भी उत्पादन होता है, पूरा का पूरा रेवेन्यू स्टेट को मिलता है।... (व्यवधान) वहां हमारे नौजवान बच्चों को नौकरी मिलती है, फिर भी कई स्टेट गवर्नमेंट्स से इस बारे में जितना कोऑपरेशन एक्सपेक्टेड था, उतना नहीं मिल रहा है।... (व्यवधान) इसलिए उसके साथ, इन्होंने पूछा है कि क्या हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करते हैं और गैसीफिकेशन के लिए और लिक्विफिकेशन के लिए क्या कर सकते हैं?... (व्यवधान) हमने गैसीफिकेशन के लिए ऑलरेडी 10 परसेंट, अगर उनको कमर्शियल कोल ब्लॉक मिला है, उसका अगर वह 10 परसेंट भी उपयोग करते हैं तो उसमें उनको प्रीमियम में और रेवेन्यू शेयर में रिबेट मिलता है।... (व्यवधान) आगे भी कोल गैसीफिकेशन के लिए ज्यादा कंसेशन देने की सोच मंत्रालय में चल रही है, क्योंकि गैसीफिकेशन के कारण हम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इम्पोर्ट करते हैं, to an extent, it can substitute that. ... (व्यवधान) इसके लिए हमने कंसेशन ऑलरेडी दी है। पहले कमर्शियल माइनिंग में रुपी-पर-टन था, अब हम रेवेन्यू शेयर पर कर रहे हैं। ऐसा बहुत बड़ा एन्ड-यूज हमने पूरा खत्म कर दिया है और गैसीफिकशन को बढ़ावा देने के लिए हमने बहुत बड़ा कदम उठाया है।... (व्यवधान) इन सब का रिजल्ट आते-आते थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि लैंड भी हमें मिलनी चाहिए। मैं सदस्य से आग्रह करता हूं और हम भी इधर से कोशिश कर रहे हैं, कृपया आप भी अपनी राज्य सरकार से रिक्वेस्ट करें।... (व्यवधान) अगर वह भूमि अधिग्रहण जल्दी करके देते हैं तो जल्द से जल्द कमर्शियल कोल माइनिंग के थ्रू गैसीफिकेशन भी शुरू होगा। यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं।... (व्यवधान)

श्री अर्जुन सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक पूरक प्रश्न पूछना चाहूंगा।... (व्यवधान) मैं जिस राज्य से आता हूं, वहां भी बहुत सारी कोल माइन्स हैं और हमारी सरकार ने प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी की है, उसी तरह से हमारे बंगाल में कोयला ...* का चलन बहुत है और सरकारी संरक्षण में ... * होती है।... (व्यवधान) चोरी के ऊपर जो कानून है, उससे उन ... * को रोका नहीं जा रहा है। इसके लिए मंत्रालय कोयला चोरों के लिए कोई कड़े से कड़ा कदम, कोई कड़े से कड़ा कानून क्यों नहीं बनाती है और सरकार के पास इसका कोई कानून बनाने का प्रावधान है या नहीं है? ... (व्यवधान) जिस तरह से सरकारी सम्पत्ति लूटी जा रही है, उससे वहां ... * का एक माहौल बना हुआ है, उत्पादन का बहुत सारा भाग चोरी किया जा रहा है।... (व्यवधान) मेरा कोल मंत्रालय से निवेदन है कि इसके ऊपर विशेष ध्यान दें, ताकि बंगाल से जो रेवेन्यू आता है, उस रेवेन्यू को सरकार बंगाल की जनता के लिए खर्च करे, देश की जनता के लिए खर्च करे।... (व्यवधान) इसके ऊपर क्या कोई कड़ा कानून बनाएंगे या नहीं? इसके लिए मैं अपना प्रश्न रखना चाहता हूं।... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : स्पीकर सर, सदस्य ने जो कंसर्न उठाया है, the concern expressed by the hon. Member is a very serious thing. लेकिन लॉ एण्ड ऑर्डर राज्य का इश्यु है। ... (व्यवधान) जब भी हमारे ध्यान में आता है, हम तुरंत उधर पुलिस कम्पलेंट करते हैं। ... (व्यवधान) लेकिन अनफॉर्चुनेटली कार्रवाई ठीक ढंग से नहीं होती है। ... (व्यवधान) यह बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। ... (व्यवधान) हम राज्य सरकार से रिक्वैस्ट करना चाहते हैं और यह करने की कोशिश भी करेंगे, जहां भी कोयले की चोरी हो रही है, कृपया उसको रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश होनी चाहिए। ... (व्यवधान) रीसेंटली ई.सी.एल. में जो कुछ भी हुआ था, ईस्टर्न कोल फील्ड्स में सीबीआई ने भी

* Not recorded.

अच्छा एक्शन लिया था। ... (व्यवधान) फिर भी मैं आग्रह करता हूँ कि बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, जिन्होंने कंसर्न व्यक्त किया है, उसके लिए हम राज्य सरकार के संज्ञान में जरूर लाएंगे। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-124, श्रीमती चिंता अनुराधा।

(Q. 124)

SHRIMATI CHINTA ANURADHA : May I know whether it is a fact that the COVID BEEP device has been effective in dealing with the pandemic? Are the people at large aware of this App? If so, the details thereof; and if not, the reasons therefor? … (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Speaker, Sir, I appreciate the question put by the hon. Member. It has a huge relevance with the contemporary crisis and the catastrophe of COVID that we are facing. … (*Interruptions*) I would like to use this opportunity to share with the hon. Members and the august House that under the Prime Minister, Shri Narendra Modi, while India has been universally acknowledged as having launched one of the largest and the fastest vaccination drives in the world, at the same time, there are a number of initiatives taken which are purely indigenous, first of their kind, and very much in keeping with the Prime Minister's Mission of Atmanirbhar Bharat. … (*Interruptions*)

What the hon. Member has referred today is also a device called 'COVID BEEP'. COVID stands for Continuous Oxygen Vital Information Device. It is also synonymous with the pandemic COVID. It is a purely indigenous device. I compliment the scientists in the Department of Atomic Energy for having come out with this. It has been developed by the Electronics Corporation of India Limited with the collaboration of ESIC Hospital, Hyderabad. … (*Interruptions*)

Now coming precisely to what the hon. Member said, yes, the information about this device is being largely publicised for a wider use. If you want precise details, I will let you know. We have already supplied more than 500 devices to the Red Cross Society in Kerala. We have more than 100 devices being used in the ESIC Hospital. The AIIMS, Rishikesh has already procured it and there is a potential order of more than 10,000 from the Ministry of Labour and Employment. We are also engaging with the Ministry of Health and Family Welfare. … (*Interruptions*) The presentations are going on. I think this is a unique device in the sense that it is very handy. It is not only usable by the individuals like we have the oximeter; it can also be used in the hospital setting. So, it is not only used in home setting but also it is used in hospital setting as well. … (*Interruptions*)

Simultaneously, it has the provision of measuring not only the oxygen levels which are known to be vital by all of us during the COVID management but it also simultaneously records body temperature, heart rate, blood pressure, ECG and respiratory rate. In other words, this is a kind of unique invention which, even after we have overcome the COVID crisis, will come handy later also. … (*Interruptions*) In the hospitals, it is also geo-tagged. It has a Bhuvan connection through the ISRO. It has not only a mobile App but also has a GSM SIM which operates through the Bhuvan. Hence, we are trying to convince the hospitals that it could be used for monitoring the patients in the wards while our nursing workers are sitting at the nursing stations and our consultants are sitting in the room. So,

without going close to the patient, which is also a kind of a Standard Operating Procedure (SOP) to be followed in COVID-19 times, this could help in managing it and, at the same time, also ensuring that the quarantine and other appropriate behaviours are being followed because any movement of the patient or the individual will also get recorded. *....(Interruptions)*

SHRIMATI CHINTA ANURADHA : Sir, I want to know whether it is a fact that by and large alarms of the app were not actionable, meaning as and when alarms were genuinely needed to save patients, it proved like a needle in a haystack. What steps are being taken in this regard? *....(Interruptions)*

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, while I appreciate the concerns raised by the hon. Member, it only reflects her deep concern for ideal management of COVID-19 and the potential COVID-19 patients. *....(Interruptions)*

I would like to convey to her that adequate trials, not once but more than once, have been done on this device. Demonstrations have been given to different hospitals and different organisations. *....(Interruptions)* That is how, it has gained acceptability as an easy-to-use device with a huge degree of specificity and a huge degree of sensitivity. *....(Interruptions)* It is also relatively cost effective and, as I said, it is meant for multiple use, not only as far as the multiple parameters recording is concerned but also as far as the multiple utility locations are concerned, which, in other words, means that not only an individual but also

hospitals can use it. It is an easy-to-use device which is tied around the wrist and then the rest of it follows. *....(Interruptions)*

SHRI ADALA PRABHAKARA REDDY : Hon. Speaker, Sir, COVID BEEP is a perfect example of how synergy amongst the reputed institutes of India can offer solutions to most of the challenges faced by the country with minimum cost, thereby making the country Atmanirbhar in its true sense. *....(Interruptions)* In this regard, I want to know whether the Government is undertaking any steps to promote indigenous development of more such solutions to health-related issues, especially in the present context of COVID-19 pandemic. *....(Interruptions)*

DR. JITENDRA SINGH: Hon. Speaker, Sir, the hon. Member has put a very pertinent question and I would say that the credit goes to the hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi for having converted this adversity of COVID-19 into a virtue and prove to the world that in this crisis time we can come up with one after the other indigenous solutions, indigenous devices and indigenous formulations. *....(Interruptions)*

Besides COVID-19, Sir, if you permit me, I would like to share one very important thing with this august House. It could not be shared in earlier days because of the din prevailing here, although the Hon. Speaker had been requesting the Members to allow the House to run smoothly. *....(Interruptions)* In this very chamber of Lok Sabha, through the Department of Biotechnology under

the Ministry of Science and Technology, we have installed an instrument called ultraviolet sanitization and all the airconditioned air that is arriving at our benches and our desks is coming through that ultraviolet sanitization. We have already installed that in the Lok Sabha chamber and in the Central Hall to begin with. *....(Interruptions)*

Similarly, through the Department, which is currently related to this question, we have come out with NeelBhasmi, Remote Health Monitoring System and Radiation Sterilization techniques. It is the Department of Atomic Energy again which came out with reusable PPE kits. *....(Interruptions)* We can imagine, when the COVID-19 crisis struck us early last year, the country was facing shortage of PPE kits. Today, we not only have them in abundance but also we have the technique to sterilize and reuse them. We have also come out with ventilators. *....(Interruptions)*

Sir, these are the techniques which are being emulated by the rest of the world as well. *....(Interruptions)* I appreciate the Hon. Member for having taken this view and appreciating several new initiatives and breakthroughs undertaken during COVID-19 times under the guidance and leadership of hon. Prime Minister. *....(Interruptions)*

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-125, श्रीमती पूनमबेन माडम।

(Q.125)

श्रीमती पूनमबेन माडम : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में रेल कनेक्टिविटी सुधार हेतु रेल मंत्रालय द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, उसकी विस्तृत जानकारी अपने उत्तर में दी है।... (व्यवधान) हम सभी इस बात से भी विदित है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में पहली बार रेल का नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। रेल सुविधाएं बढ़ाने हेतु जो एग्जिस्टिंग सुविधाएं हैं, उनको भी अपग्रेड किया जा रहा है और नई ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। ... (व्यवधान)

सर, मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना चाहती हूँ कि मेरा जो संसदीय क्षेत्र है, वह जामनगर और द्वारका लोक सभा क्षेत्र है। यह क्षेत्र देश के पश्चिमी क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में स्थित है।... (व्यवधान) इस समग्र क्षेत्र को और रेल सुविधा से जोड़ना अति आवश्यक है। माननीय मंत्री जी ने नई रेल पटरी व सुविधाएं बढ़ाने की डिटेल्स यहाँ दी हैं।... (व्यवधान) इसमें पोरबंदर तक का उल्लेख है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि मेरे संसदीय क्षेत्र में कलावर तहसील, जोड़िया तहसील और द्रोल तहसील के भी काफी ऐसे इलाके हैं, जो आज भी रेल सुविधा से जुड़े हुए नहीं हैं।... (व्यवधान) क्या आने वाले दिनों में इन क्षेत्रों को रेल से जोड़ने के लिए कोई प्रावधान होने वाला है? क्या इस दिशा में कोई सर्वे किया जा रहा है? ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में रेलवे में बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स लिए गए हैं।... (व्यवधान) रेलवे का किस तरह से पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो, जैसा हम सब जानते हैं कि रेलवे भारत की लाइफ लाइन है। गुजरात के जामनगर क्षेत्र की माननीय सांसद महोदया ने बहुत अच्छे प्रश्न पूछे हैं। इनके क्षेत्र में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, राजकोट-कनालूस डबलिंग का सर्वे कंप्लीट हो चुका है। उसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है। इस पर भी आगे काम चल रहा है।... (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री मोदी जी की यह सरकार गरीब, वंचित, शोषित लोगों की सरकार है ।... (व्यवधान) विशेषकर जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, कल्चरल हेरिटेज के जो एरियाज़ हैं, जैसे सोमनाथ-कोडिनार लाइन हो, गिर का एरिया हो, जो कि एनवायरन्मेंट के प्वाइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेन्ट है, इकोलॉजी के प्वाइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेन्ट है ।... (व्यवधान) उन सब एरियाज़ में कई सारे प्रोजेक्ट्स के डीपीआर का काम चल रहा है, सर्वे चल रहा है। माननीय सदस्या के साथ जब भी मैं कार्यालय में बैठूंगा, उनके क्षेत्र का डिटेल्ड विवरण उनको दे दूँगा।... (व्यवधान)

श्रीमती पूनमबेन माडम: सर, मेरे संसदीय क्षेत्र में जो भावनगर डिवीजन है, उस डिवीजन में भी सुविधाएं बढ़ाने की अति आवश्यकता है।... (व्यवधान) भावनगर डिवीजन में मेरे क्षेत्र से जो तहसीलें जुड़ी हैं, जैसे जामजोधपुर तहसील, भाड़वर तहसील, लालपुर तहसील है।... (व्यवधान) यहाँ पर जो नागरिक हैं, उनकी बहुत समय से डिमांड है कि नई ट्रेनें चलाई जाएं, परंतु इन सुविधाओं के अभाव से हम नई ट्रेनें नहीं चला पा रहे हैं।... (व्यवधान)

सर, बहुत समय से मेरी माँग है कि पोरबंदर से सुबह शुरू होकर वाया जेतलसर और वांसजालिया ट्रेन, राजकोट जाए। ... (व्यवधान) वहाँ सुविधा उपलब्ध न होने के कारण हम ट्रेन शुरू नहीं कर सके हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगी, क्योंकि भावनगर डिवीजन को मुख्य क्षेत्र से जोड़ने की अति आवश्यकता है। क्या इस डिवीजन के आने वाले दिनों में मेरे क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी? वहाँ रेल पटरी के दोहरीकरण का जो कार्य है, वह मेरे क्षेत्र में कब तक होगा और ओखा तक यह सुविधा कब तक उपलब्ध होगी? ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदया ने जो प्रश्न किया है, इनके क्षेत्र में डबलिंग का कार्य राजकोट-कनालूस लाइन पर ऑलरेडी चल रहा है। इसका डीपीआर भी बन चुका है, जैसा मैंने पहले निवेदन किया।... (व्यवधान) माननीय सांसद के क्षेत्र में स्टेशंस के रि-डेवलपमेंट के

जितने कार्य हैं, उस प्रकार के कार्य देशभर में चल रहे हैं। इस प्रकार के कार्य न केवल माननीय सांसद महोदया के क्षेत्र में, बल्कि देश भर में स्टेशंस का इम्प्रूवमेंट कैसे हो, उसका रि-डेवलपमेंट कैसे हो, विशेषकर नागरिकों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्य किया जा रहा है।... (व्यवधान) जिस तरह से फिजिकली हैन्डीकैप्ड लोगों एवं गरीबों पर ध्यान देना हो, उसी तरह से स्टेशंस का रि-डेवलपमेंट का काम चल रहा है। मैं एक विस्तृत जानकारी माननीय सांसद महोदया के साथ बैठक कर और इनके क्षेत्र के दूसरे प्वाइंट को भी सुनकर व नोट करके उसका संज्ञान ले लूंगा।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : क्वेश्चन नंबर-126, श्री एम. के. राघवन ।

… (व्यवधान)

(Q. 126)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-127, श्री संजय सेठ।

(Q. 127)

श्री संजय सेठ: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने उत्तर में विस्तार से जानकारी दी है।... (व्यवधान) यह पहला अवसर है, जब सीएसआर के तहत कोयला जगत में अभूतपूर्व काम हुआ है। कोविड काल में झारखण्ड के अन्दर अस्पताल, भोजन, ऑक्सीमीटर, तमाम तरह की सुविधाएं प्रदान की गईं।... (व्यवधान) मैं आदरणीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी और माननीय कोयला मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं कि सीएसआर के तहत कोविड में इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है।... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, अभी कुछ दिन पहले हमने आदरणीय कोयला मंत्री जी से आग्रह किया था कि हमारे राँची में, खलारी में सीएसआर के तहत एक केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हो, राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी लाइब्रेरी बने।... (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि रांची में एक बड़ी लाइब्रेरी का काम शुरू होने जा रहा है। मैं कोयला मंत्री जी का अभिनन्दन करना चाहता हूं।...(व्यवधान) एंबुलेंस, मोर्चरी और शव वाहन, ये सब काम बहुत जल्दी पूरे हो रहे हैं, पाइपलाइन में आ रहे हैं। मैं उनका अभिनन्दन करना चाहता हूं।... (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, झारखण्ड के अन्दर खिलाड़ियों की बड़ी संख्या है।... (व्यवधान) चाहे क्रिकेट हो, तीरन्दाजी हो, कुश्ती हो, खो-खो हो, कबड्डी हो, झारखण्ड के अन्दर खिलाड़ियों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला है।

महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सीएसआर के तहत हमारे खिलाड़ियों को ट्रेनिंग की सुविधा दी जाएगी? हमारा जो खेल गांव है, जिसे सीसीएल मेंटेन करता है। क्या उस खेल गांव के अन्दर हमारे झारखण्ड के खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधा मिल सकती है? इस संबंध में आपकी क्या योजना है? ... (व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी : संजय सेठ जी हमारे अच्छे मित्र हैं। वे एक कोयला क्षेत्र से आते हैं । ...(व्यवधान) कोयला क्षेत्र से आने के कारण वे बहुत सी रिक्वैस्ट भी हमारे पास भेजते रहते हैं।... (व्यवधान) उनके क्षेत्र में उन्होंने जो भी काम के लिए कहा, वह काम कोल इण्डिया और उसकी सब्सिडियरीज़ ने करा दिया है।... (व्यवधान) क्षेत्र के प्रति और राज्य के प्रति उनका जो कन्सर्न है, मैं उसको एप्रीशिएट करना चाहता हूं।... (व्यवधान) वे बार-बार हमारे पास आकर मिलते हैं, आफिसर्स के साथ मिलते हैं और अपना काम करवा कर जाते हैं। I like people who get the work done. ... (व्यवधान) इसलिए मैं इनका अभिनन्दन करता हूं।... (व्यवधान)

जहां तक स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात है, हमने झारखण्ड सहित कई और राज्यों में बहुत काम किया है।... (व्यवधान) हमने इसका पूरा ब्यौरा यहां रखा है। इसके साथ ही साथ, अगर कोल इण्डिया के सीएसआर के थ्रू कुछ और करना है तो हमारी जो लोकल सब्सिडियरीज़ हैं, कोल इण्डिया है, उसको अप्रोच करेंगे तो वह कंपनी मेरिट के बेसिस पर जरूर उसको कंसीडर करेगी।...(व्यवधान)

श्री संजय सेठ : माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि कोरोना काल में जिन्होंने अपने अभिभावक खोये, माता-पाता खोये, क्या उनके लिए कोई योजना तैयार की गई है? ...(व्यवधान) क्या उनकी फीस के लिए, नि:शुल्क शिक्षा के लिए सीएसआर के तहत, कोल इण्डिया, सीसीएल के द्वारा, क्या कोई योजना भारत सरकार द्वारा तैयार की गई है? ...(व्यवधान)

श्री प्रहलाद जोशी: अध्यक्ष जी, शिक्षा क्षेत्र में हो या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो, जो कुछ भी इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, उसके लिए कोल इण्डिया या स्पेशियली जहां भी कोल इण्डिया की सब्सिडियरीज़ का काम है, हमारी कंपनी बहुत संवेदनशीलता से काम कर रही है।...**(व्यवधान)** फीस वगैरह में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात नहीं आती है। इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए जो कुछ भी पॉसिबल है, उसे करने के लिए हमने ऑलरेडी कहा है।... (व्यवधान)

कोविड काल खंड में चाहे झारखंड में हो या उनके क्षेत्र में हो या ओडिशा में हो। हमने बहुत बड़ी मात्रा में हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है।... (व्यवधान) इसके अलावा, कोल इंडिया और सब्सिडरीज ने मिलकर पीएम केयर फंड में भी कोविड निवारण के लिए कोल इंडिया के सीएसआर के माध्यम से कन्ट्रीब्यूशन दिया है। ... (व्यवधान) इसके साथ ही जहां भी कोयला का खनन होता है ... (व्यवधान) उधर हम जो कुछ भी कर सकते हैं, उसको हम जरूर करेंगे। इसके लिए एक प्रोसेस के माध्यम से कंपनी को एप्रोच करना पड़ेगा और कंपनी मेरिट के आधार पर और नियम के आधार पर उसको कन्सिडर करेगी। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती हरसिमरत कौर बादल

… (व्यवधान)

(Q. 128)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

श्री राव इंद्रजीत सिंह : अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-129, डॉ. आलोक कुमार सुमन।

(Q. 129)

डॉ. आलोक कुमार सुमन: माननीय अध्यक्ष महोदय, सबेया एयरबेस 571 एकड़ में फैला हुआ है। यह हथुआ सह-अनुमंडल के गोपालगंज में स्थित है और नॉन-ऑपरेशनल है। यह एन्क्रोचमेंट का भी शिकार हो रहा है। ... (व्यवधान) अभी उसे सिविल एविएशन मंत्रालय द्वारा उड़ान योजना के तहत शामिल किया गया है। इसके लिए मैं माननीय रक्षा मंत्री जी और माननीय सिविल एविशन मंत्री जी को बधाई देता हूं और अभिनंदन व्यक्त करता हूं। ... (व्यवधान)

मेरा क्वैश्चन है, क्या माननीय मंत्री जी द्वारा रक्षा मंत्रालय की तरफ से सिविल एविएशन मंत्रालय को एनओसी दिया जाएगा? यह कब तक दिया जाएगा ताकि इस काम को आगे बढ़ाया जा सके।

एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, गोपालगंज जिले में सबेया एयरफील्ड को रक्षा मंत्रालय के रिकार्ड में हथुआ एयरफील्ड के नाम से दर्ज किया गया है। ... (व्यवधान) सबेया यानी हथुआ रक्षा भूमि को एयरपोर्ट बनाने की कोई मांग या प्रस्ताव आज तक कहीं से भी नहीं आया है। ... (व्यवधान) यदि कहीं से कोई प्रस्ताव आता है, हमने सिविल एविएशन मंत्रालय से भी ज्ञात किया है। उन्होंने कई बार इसकी डिमांड्स निकाली, लेकिन अभी तक कोई भी आगे नहीं आया है। जब कभी भी कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाता है, हम परमिशन देते हैं और यह पॉलिसी में है। ... (व्यवधान) जो भी नियम हैं, उसके आधार पर पब्लिक यूटिलिटीज के लिए दिया ही जाता है।

डॉ. आलोक कुमार सुमन: माननीय मंत्री महोदय, इसे रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत शामिल किया जा चुका है, इस बारे में मंत्री महोदय क्या कहेंगे?

एडवोकेट अजय भट्ट : माननननीय अध्यक्ष जी, सिविल एविएशन मंत्रालय के अधिकारी हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा कि हमने डिमांड्स निकाली है लेकिन कोई भी आगे नहीं आ रहा है।

डॉ. आलोक कुमार सुमन: माननीय मंत्री जी, क्या उसकी मरम्मत और बोली लगाने के लिए कुछ प्रयास किया जा सकता है?

एडवोकेट अजय भट्ट : मान्यवर, हम पब्लिक यूटिलिटी के लिए भूमि हमेशा देते हैं लेकिन हमारी तरफ से बोली लगाने का कोई भी प्रोविजन नहीं है। ... (व्यवधान) यदि कोई भी प्रोविजन आएगा तो नियमानुसार पब्लिक यूटिलिटी के लिए हम ऐसी भूमि को राज्य सरकार और लोकल बॉडीज को अवश्य देते हैं।

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-130, श्री बसंत कुमार पंडा।

(Q.130)

श्री बसंत कुमार पंडा: माननीय अध्यक्ष जी, कालाहाण्डी जिले में नरला एक पिछड़ा ब्लॉक है, यहां इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशाप मंजूर की गई थी। राज्य सरकार 328 एकड़ में से 141 एकड़ यानी 47 परसेंट जमीन ऑलरेडी दे चुकी है और बाकी देने वाली है। मैं निवेदन करूंगा कि परियोजना को तुरंत प्रारंभ किया जाए। ... (व्यवधान)

दूसरी बात, वर्ष 2017- I8 में मंजूर किया गया प्रोजेक्ट अभी तक पेंडिंग है। यह निश्चित रूप से विडंबना का विषय है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वर्ष 2017-18 से आज तक यानी वर्ष 2021-21 तक हम पहुंच चुके हैं, यह पांच साल लंबित हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस बीच में कितनी बार राज्य सरकार से जमीन देने के लिए निरंतर पत्राचार किया गया है? अगर ऐसा हुआ है तो इसका विवरण दें? ... (व्यवधान)

मैं निवेदन करूंगा कि सरकार राज्य सरकार को डायरेक्शन दे या निवेदन करे कि जल्दी से जल्दी जमीन मुहैया कराई जाए और इस पिछड़े जिले में आकांक्षी जिले के तहत इलेक्ट्रिक लोको पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशाप निश्चित रूप से बनाई जाए। 47 परसेंट जमीन अभी तक मिल गई है, इसमें भी काम चालू किया जा सकता है। मेरा यह निवेदन माननीय मंत्री जी से है। ... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय बसंत कुमार पंडा जी मेरे बहुत ही अच्छे मित्र हैं। वह प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, जब मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। इन्होंने बहुत अच्छा प्वाइंट रेज़ किया है। कालाहाण्डी में पीरियोडिकल ओवरहॉलिंग वर्कशाप बनेगी। ... (व्यवधान)

हम सब कालाहाण्डी को जानते हैं, ओडिशा का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इसमें पीओएच वर्कशॉप बनने से न केवल डायरेक्ट एम्पलायमेंट मिलेगा बल्कि बहुत सी एनसिलरी यूनिट्स भी

स्थापित होंगी। इस प्रोजेक्ट को टॉप प्रयोरिटी पर लिया जा रहा है। ऑलरेडी राज्य सरकार ने जितनी लैंड दी है, उस लैंड का डीजीपीएस सर्वे कर दिया गया है। ... (व्यवधान) कुछ फोरेस्ट के इश्यूज़ हैं, स्टेज वन क्लियरेंस होनी है, फोरेस्ट के इश्यु मंत्रायल की तरफ से राज्य सरकार को परस्यू किए जा रहे हैं। ... (व्यवधान)

माननीय सदस्य का राज्य सरकार में बहुत प्रभाव है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अपनी तरफ से जोर लगाएं ताकि किसी भी तरीके से जमीन जल्दी से जल्दी मिल जाए। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : पंडा जी, क्या आप दूसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं?

... (व्यवधान)

श्री बसंत कुमार पंडा : धन्यवाद सर। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री के. नवासखनी…

… (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धानोरकर …

… (व्यवधान)

(Q. 131)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

SHRI V. MURALEEDHARAN: Sir, a Statement is laid on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्रीमती रीती पाठक …

… (व्यवधान)

(Q. 132)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

… (व्यवधान)

SHRI ASHWINI VAISHNAW : Sir, a Statement is laid on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न संख्या-133, श्रीमती जसकौर मीना।

(Q. 133)

श्रीमती जसकौर मीना: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि दौसा संसदीय क्षेत्र में बसवा और बांदीकुई के बीच अंडरपास की बहुत समस्या रही है। यहां से बहुत सारे मजदूर दिल्ली मजदूरी के लिए आते हैं। ऐसी स्थिति में यातायात की सुगमता को देखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहती हूं और उम्मीद रखना चाहती हूं कि अंडरपास के लिए तो कंसीडर कर लिया है, लेकिन साथ ही बसवा स्टेशन पर पूजा और आश्रम ट्रेन का ठहराव होना भी अत्यंत आवश्यक है। ... (व्यवधान) क्या आपका विचार मेरी इस बात को मानने के लिए है तो आप मुझे आश्वस्त करें?... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, जिस एरिया से माननीय सांसद महोदया आती हैं, वहां बहुत कम अंतर में दो लैवल क्रासिंग्स हैं और एक आरओबी है। इसके अलावा माननीय सांसद महोदया ने दो ट्रेन्स के हॉल्ट देने की डिमांड रखी है। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, कोविड के समय से बहुत सारी पेसेंजर ट्रेन्स का यातायात कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए बंद किया हुआ है। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे स्थिति सुधर रही है एक पार्टिकुलर सिस्टम से नई ट्रेन्स चालू की जा रही हैं। ... (व्यवधान) जहां तक किसी भी जगह हॉल्ट देने का प्रश्न है, तो उसके लिए रेलवे का अपना एक प्रावधान है, अपना एक नियम है। उसकी कमर्शियल वॉयबिलिटी देखी जाती है, उसमें पैंसेजर का क्या उपयोग हो सकता है, वह सब देखा जाता है। माननीय सांसद महोदया ने जो दो प्वाइंट्स रेज किए हैं, उनको मैं संज्ञान में लेकर उनका प्रोपर एसैसमेंट करवा दूंगा। धन्यवाद। ... (व्यवधान)

श्रीमती जसकौर मीना: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से कहना चाहती हूं कि दौसा संसदीय क्षेत्र ही नहीं, राजस्थान का पूर्वी भाग जल अभाव के कारण पिछड़ा हुआ है। केवल खेती ही नहीं, मजदूरी के कारण भी आवागमन में दिक्कते आती हैं। ... (**व्यवधान)** संपूर्ण संसदीय क्षेत्र में जहां-जहां अंडरपास विचाराधीन हैं और मैंने जिन अंडरपास की मांग की है, यदि आप उनको शीघ्र पूरा कराने की कोशिश करेंगे, तो यहां के लोगों को लाभ मिलेगा ।... (व्यवधान)

श्री अश्वनी वैष्णव : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जसकौर मीना जी हमारी बहुत ही रेस्पेक्टेड सांसद हैं। वे मुझे पूज्य अटल जी के समय से गाइड करती आ रही हैं। ... (व्यवधान) इनके क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं, मैं इनके साथ अलग से एक बार बैठकर और पूरा विचार करके जो भी एक्शन लेने हैं, वह ले लूंगा। ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री डी. के. सुरेश जी ।

… (व्यवधान)

(Q. 134)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

SHRI ASHWINI VAISHNAW : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. रामशंकर कठेरिया जी ।

… (व्यवधान)

(Q. 135)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

SHRI ASHWINI VAISHNAW : Sir, a statement is laid on the Table of the House.

… (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : श्री गुरजीत सिंह औजला जी ।

… (व्यवधान)

(Q.136)

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ।

… (व्यवधान)

एडवोकेट अजय भट्ट : अध्यक्ष महोदय, विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न संख्या 137, श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल।

(Q. 137)

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के जवाब सकारात्मक आए हैं। मैं उनसे पूर्णरूपेण संतुष्ट हूं।... (व्यवधान) लेकिन, मैं माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में सरकार अपनी तरफ से आगे की कार्रवाई के लिए क्या करना चाहती है? जिस तरीके से सरकार जन सुविधा और जन भावनाओं की कद्र के लिए कर रही है, मैं इस विषय में कहना चाहता हूं कि विपक्ष के लोग आज सरकार की भावनाओं का आदर तो नहीं ही कर रहे हैं बल्कि आमजन की भावनाओं का भी आदर नहीं कर रहे हैं। ... (व्यवधान) आज जनता चाह रही है, पूरा देश चाह रहा है कि सरकार जनहित की भावनाओं का कद्र करते हुए देश को आगे बढ़ाए और देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाए। लेकिन, ये विरोधी लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनी बात को न कहते हैं और न कहने में मदद करने का काम करते हैं। ... (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप क्षेत्र और देश की दिशा में जो सकारात्मक कार्य कर रहे हैं, उनको और आगे बढ़कर करते रहें। माननीय प्रधान मंत्री जी का जो काम आगे बढ़ रहा है, वह इन विरोधियों को रास नहीं आ रहा है। इनके सीने पर वह एक शूल जैसा गड़ रहा है। ... (व्यवधान) जनता तो इनको दर्द दे ही रही है, लेकिन, सरकार के कामों के माध्यम से इनको और कठोर से कठोर से दर्द हो, यह भी सरकार का प्रयास होना चाहिए। मैं अपनी बातों को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाते हुए कहना चाहता हूं कि इन विरोधियों को यह सबक मिले कि ये काम करें, जनता की बातों को सुने और जनता के कार्यों में हस्तक्षेप करने के बजाय जनता के विकास कार्यों को आगे बढाएं। ... (व्यवधान)

***WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS**
(Starred Question Nos.138 to 140
Unstarred Question Nos.1381 to 1610)
(Page No.48 to 744)

* Available in Master copy of the Debate, placed in Library.

12.00hrs

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, हमें कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है।

… (व्यवधान)

12.0 1 hrs

PAPERS LAID ON THE TABLE

माननीय सभापति : अब पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे। आइटम नंबर 2 से 7.

श्री अर्जुन राम मेघवाल जी।

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री प्रहलाद जोशी जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेशन लिमिटेड, नागपुर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4389/17/21]

(2) खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 28 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) खान और खनिज (जिला खनिज फाउंडेशन में अभिदाय) संशोधन नियम, 2021 जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 437(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (संशोधन) नियम, 2021 जो 24 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 209(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (तीसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 10 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 397(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) खनिज (बोली) संशोधन नियम, 2021 जो 17 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 195(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) खनिज (आण्विक और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों के अलावा) छूट (दूसरा संशोधन) नियम, 2021 जो 8 अप्रैल, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) खनिज (बोली) दूसरा संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 422(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) खनिज (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) संशोधन नियम, 2021 जो 18 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 421(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) सा.का.नि. 425 (अ) जो 22 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हए थे तथा जिनके द्वारा खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परंतुक के प्रयोजनार्थ हुत्ती गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड, कर्नाटक को अधिसूचित करना है।

(नौ) सा.का.नि. 438 (अ) जो 25 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जून, 2015 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 516(अ) को निरस्त किया गया है।

(दस) सा.का.नि. 399 (अ) जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा, उसमें उल्लिखित, क्षेत्र को 1144.06.18 हैक्टेयर विस्तार तक कन्याकुमारी जिले में तटीय बालू खनिजों के लिए मैसर्स आईआरईएल(इंडिया) लिमिटेड के पक्ष में आरक्षित किया गया है।

[Placed in Library, See No. LT 4390/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड, मुंबई के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 4391/17/21]

(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केंद्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4392/17/21]

(3) अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग सदस्य-संख्या का नियतन) तीसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 464(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 2021 जो 1 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 465(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4393/17/21]

(4) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के खण्ड (5) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) संशोधन विनियम, 2021 जो 7 जनवरी, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 10(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श से छूट) दूसरा संशोधन विनियम, 2021 जो 11 जून, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 398(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT 4394/17/21]

(5) (एक) सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सिविल सेवा अधिकारी संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4395/17/21]

(7) (एक) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भौतिकी संस्थान, भुवनेश्वर के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4396/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री दानवे रावसाहेब दादाराव जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेल भूमि विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4397/17/21]

(3) रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम, 1957 की धारा 21 की उप-धारा (3) के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2021 जो 20 जुलाई, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 500(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4398/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री सोम प्रकाश जी की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) (एक)भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय गुणवत्ता परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2019-2020 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4399/17/21]

(2) प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 78 की उप-धारा (3) के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) नियम, 2021 जो 30 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 225(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 4400/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, एडवोकेट अजय भट्ट जी की ओर से, मैं नौसेना अधिनियम, 1957 की धारा 185 के अंतर्गत अधिसूचना सं. का.नि.आ. 15 जो 27 मार्च, 2021 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा यह घोषित किया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह संघ राज्य-क्षेत्र में सेवा या ड्यूटी नौसेना अधिनियम, 1957 के प्रयोजनार्थ और उसके अर्थ के अंतर्गत 13 जनवरी 2020 से पांच वर्षों की अवधि के लिए 'सक्रिय सेवा' होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4401/17/21]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : सभापति महोदय, श्री देवुसिंह चौहान जी की ओर से, मैं वर्ष 2021-2022 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की निर्गत परिणामी अनुश्रवण रूपरेखा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 4402/17/21]

… (व्यवधान)

12.02 hrs

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY GENERAL: Sir, I have to report a message received from the Secretary General of Rajya Sabha:-

> "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th July, 2021 agreed without any amendment to the Marine Aids to Navigation Bill, 2021 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 22nd March, 2021."

12.02 ½ hrs

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE

296th Report

SHRI RAHUL KASWAN (CHURU): Sir, I beg to lay on the Table the Two Hundred Ninety-sixth Report (Hindi and English versions) on 'Role of Highways in Nation Building' of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture.

12.03 hrs

STATEMENTS BY MINISTERS

(i)(a) Status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 220th Report of the Standing Committee on Home Affairs on Working Conditions in Non-Border Guarding Central Armed Police Forces (Central Reserve Police Force, Central Industrial Security Force and National Security Guard) pertaining to the Ministry of Home Affairs.*

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी) : सभापति महोदय, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

गृह मंत्रालय से संबंधित "गैर-सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड) की कार्यदशाओं" के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 220वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति ।

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4386/17/21.

(b)Status of implementation of the Recommendations/ Observations contained in the 221st Report of the Standing Committee on Home Affairs on Working Conditions in Border Guarding Central Armed Police Forces (Border Security Force, IndoTibetan Border Police, Sashastra Seema Bal & Assam Rifles) pertaining to the Ministry of Home Affairs. *

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय मिश्र टेनी) : सभापति महोदय, श्री नित्यानन्द राय जी की ओर से, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं :

गृह मंत्रालय से संबंधित "सीमा रक्षक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल और असम राइफल्स) की कार्यदशाओं" के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 221वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति ।

---

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4387/17/21.

12.04 hrs

(ii)Status of implementation of the recommendations/observations contained in the 232nd Report of the Standing Committee on Home Affairs on Demands for Grants (2021-22) pertaining to the Ministry of Development of North Eastern Region*

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी. एल. वर्मा) : सभापति महोदय, मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2021-22) के बारे में गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति के 232वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं ।

… (व्यवधान)

* Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 4388/17/21.

माननीय सभापति : डॉ. निशिकांत दुबे जी।

... (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे (गोड्डा) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद। मैं रूल 222, जिसमें रिपोर्टिंग 227 है, उस रूल के अंतर्गत आईटी कमेटी के चेयरमैन डॉ. शशि थरूर जी के खिलाफ एक प्रिविलेज मोशन लाने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि अपोजीशन यहां पर पार्लियामेंट नहीं चलाने दे रही है। लेकिन ये कमेटी में वही चीजें डिसकस करना चाहते हैं, जिसके डिसकशन के लिए यहां पर सरकार तैयार है। लोक सभा और राज्य सभा में अपोजीशन तैयार नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी माननीय अध्यक्ष जी सभा को चलाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)

महोदय, मेरी बात केवल दो मिनट के लिए सुन लीजिए। ...(व्यवधान) वह पहले ही अखबार में चला जाता है, जो डायरेक्शन 55 के खिलाफ है। ...(व्यवधान) इसके अलावा भारत का संविधान यह कहता है ...(व्यवधान) आर्टिकल 94 और 96 यह कहता है कि हम इसके खिलाफ मोशन ला सकते हैं। ...(व्यवधान) इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आर्टिकल 94 और आर्टिकल 96 के तहत आप डॉ. शशि थरूर को इस कमेटी से निकालिए।... (व्यवधान) चूँकि हम 17 लोगों ने उस पर साइन करके दिया है तो जब तक उसका फैसला नहीं हो जाता है, तब तक इस कमेटी की मीटिंग नहीं होनी चाहिए।... (व्यवधान) मेरा आपके माध्यम से यही आग्रह है कि इस पर लोक सभा और राज्य सभा में डिसक्शन होना चाहिए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : मुझे आपका नोटिस मिला है। वह अध्यक्ष जी के समक्ष विचाराधीन है।

… (व्यवधान)

12.06 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

माननीय सभापति : डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी – उपस्थित नहीं।

श्री जुगल किशोर शर्मा।

… (व्यवधान)

(i) Need to provide funds for projects under CRF in Jammu, Poonch and Rajouri in J&K

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): माननीय सभापति जी, धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूँ।… (व्यवधान) सभापति महोदय जी, सी.आर.एफ. के माध्यम से जो काम तेज गति से चल रहा था, वह काम फंड्स की कमी से मंद गति से चल रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण रोजाना कोई न कोई घटना घटित होती रहती है।… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप वही पढिए, जो आपने दिया है।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही बारह बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.07 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

12.30 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Twelve of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

12.30 ½ hrs

At this stage, Shri Benny Behanan, Prof. Sougata Ray, Dr. T. Sumathy (A) Thamizhachi Thangapandian and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

12.31 hrs

MATTERS UNDER RULE 377..Contd.

माननीय सभापति : श्री जुगल किशोर शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए।

(i) Need to provide funds for projects under CRF in Jammu, Poonch and Rajouri in J&K – Contd.

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): मैं सरकार का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र की ओर ले जाना चाहता हूं। … (व्यवधान) सभापति महोदय जी, सीआरएफ के माध्यम से जो काम तेज गति से चल रहा था, वह काम फंड्स की कमी से मंद गति से चल रहा है, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण रोजाना कोई न कोई घटना घटित होती रहती है।… (व्यवधान)

अत: आपके माध्यम से मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि कृपया जम्मू, पुंछ, राजौरी जैसे जिलो में चल रहे सीआरएफ के प्रोजेक्ट्स के लिए तुरंत फण्ड से राशि जारी की जाए, ताकि मंद गति से चल रहे और रुके हुए काम तेज गति से चलें और समय से ये प्रोजेक्ट्स पूरे हों। धन्यवाद। … (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, कृपया आप लोग अपनी सीट्स पर वापस जाइए। अपने विषय उठाइए, क्योंकि सदन इसी के लिए है। यह आपका सदन है। Please go back to your seats. Please.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : नियम 377 के अधीन सब्मिशन्स चल रहे हैं, आप लोग भी इसमें भागीदारी करें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

12.32 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

14.01 hrs

The Lok Sabha reassembled at Two Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)
… (व्यवधान)

14.01 ½ hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Dr. T. Sumathy (A)Thamizhachi Thangapandian, Shri Gurjeet Singh Aujla and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

…(व्यवधान)

14.02 hrs

MATTERS UNDER RULE 377..Contd.

माननीय सभापति : श्रीमती अपराजिता सारंगी।

… (व्यवधान)

(ii)Need to set up a Mega Food Park and a Food Processing Unit in Rajgarh Parliamentary Constituency, Madhya Pradesh

श्री रोड़मल नागर (राजगढ़): मेरा संसदीय क्षेत्र राजगढ़ मध्य प्रदेश मुख्यतः कृषि प्रधान क्षेत्र है, यहां की 70 प्रतिशत आबादी कृषि कार्य पर ही आधारित है। क्षेत्र में गेहूं, चना, मक्का, प्याज, लहसन की खेती के साथ-साथ मसूर ,सोयाबीन, धनिया, संतरा, आंवला, एवं सीताफल का भी उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है, किन्तु इनके उचित रखरखाव व संग्रहण की समुचित व्यवस्था नही होने से अधिकांश मात्रा में ये फसलें बर्बाद हो जाती हैं, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है । राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में मेगाफूडपार्क व प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना होने से अन्नदाता किसानों को मेहनत का पूर्ण फायदा मिलेगा, साथ ही इन उत्पादों का नुकसान होने से भी बचाया जा सकेगा। विभिन्न कृषि उत्पादों के एक ही स्थान पर उपलब्ध होने से देश-विदेश तक संरक्षित व सुरक्षित रुप से निर्यात किया जा सकता है। साथ ही साथ लोगों के मन में कृषि कार्य के प्रति एक रुझान पैदा किया जा सकेगा, जिससे कि भारत को कृषि और कृषि उत्पादों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में मील का पत्थर साबित होगा।

अध्यक्ष महोदय, मै आपके माध्यम से माननीय कृषि मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि व्यापक किसानहित में क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य व ग्रामीण क्षेत्र से लोगों के पलायन को रोकने के लिए राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में मेगाफूड पार्क व फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना कर अनुगृहित करें।

माननीय सभापति : कृपया आप सभी अपनी सीट पर जाइए।

… (व्यवधान)

(iii)Need to make available bamboo to Kamar tribe in Mahasamund Parliamentary Constituency, Chhattisgarh for manufacturing bamboo products and also provide market for their products

श्री चुन्नीलाल साहू (महासमुन्द): छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विशेष जनजाति के दर्जा प्राप्त कमार जनजाति की संख्या छत्तीसगढ़ में लगभग 35 से 40 हज़ार के बीच है, जिसमें से आधे से अधिक लोग मेरे लोक सभा क्षेत्र महासमुन्द के जिला गरियाबंद व महासमुन्द में निवासरत हैं, इनका जीविकापार्जन वनोपज या उससे निर्मित वस्तु पर आधारित है।

कमार जनजाति वनों में ही निवास करते हैं, शासन द्वारा इनके आर्थिक शैक्षणिक व सामाजिक विकास हेतु अलग से प्रोजेक्ट तैयार करके बजट का प्रावधान किया जाता है, किन्तु वर्तमान परिदृश्य मे आज भी ऐसा धरातल में नजर नही आता है। इनका मुख्य व्यवसाय बांस से निर्मित दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु जैसे टोकरी, सूप , टेबल-कुर्सी और चटाई इत्यादि है। मैं इस संदर्भ में सदन के माध्यम से संबंधित मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन्हें उक्त पारंपरिक कार्य हेतु प्रशिक्षित कराया जाए, तथा बांस को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराएं और इनके द्वारा निर्मित सामान के विक्रय हेतु बाजार व्यवस्था की जाए ताकि इनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।

(iv) Regarding facilitating SC/ST students to pursue education in foreign countries

डॉ. (प्रो.) किरिट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार वड़ोदरा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ जी ने बाबा साहब अम्बेडकर को विदेश में शिक्षा अर्जन के लिए शिष्यवृत्ति दी थी, जिससे बाबा साहब की प्रतिभा और भी निखर के बाहर आई थी। उसी प्रकार मेरा निवेदन है कि भारत सरकार को अनुसूचित जाति / जनजाति के छात्रों के लिए विदेश में शिक्षा प्राप्ति हेतु शिष्यवृत्ति योजना शुरू करनी चाहिए। इस योजना के तहत शिक्षा प्राप्ति हेतु कम ब्याज दर (4%) पर 30 लाख रुपए शिष्यवृत्ति देनी चाहिए। शिक्षा प्राप्ति के बाद रोजगार मिलने पर शिष्यवृत्ति की राशि को मासिक किश्तों के हिसाब से 5 वर्षों में वापस करनी होगी। विश्वास है कि सफल होकर छात्र नये आयाम स्थापित करते हुए राष्ट्र-निर्माण में अहम भूमिका निभाएंगे।

(v)Regarding demands of the people from Darjeeling hills, Terai and Dooars region

SHRI RAJU BISTA (DARJEELING): In India, Darjeeling is the only place where democracy does not exist. Here, all publicly-elected offices are allegedly run by selected bureaucrats or political party nominees.

Since 2001, Panchayat elections have not been held here. Since 2017, Gorkhaland Territorial Administration, an autonomous body, is allegedly being run by people nominated by political party. Since 2019, Darjeeling Municipality, one of the oldest Municipalities in India, is run by bureaucrats.

Despite generating huge revenues for West Bengal, Darjeeling hills, Terai, and Dooars are underdeveloped due to alleged discrimination by State Government, because of which, the demand for Gorkhaland state rises time and again.

The demand for Gorkhaland is not just for development but also, concerns the identity crisis being faced by 1.5 crore Gorkhas living across India.

A particular party is committed to finding a permanent political solution to the long-pending demands of the people from Darjeeling hills, Terai and Dooars region. I request the Government to expedite this process. … (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सभी अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। आप थक भी गए होंगे। प्लीज, बैठिए। प्लीज को-ऑपरेट कीजिए।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही दो बजकर तीस मिनट तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

14.30 hrs

The Lok Sabha reassembled at Thirty Minutes past Fourteen of the Clock.

(Shri Bhartruhari Mahtab *in the Chair*)

… (व्यवधान)

14.31 hrs

At this stage, Sushri Mahua Moitra, Shri Ravneet Singh, Shri N.K. Premachandran and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

14.31 ½ hrs

MATTERS UNDER RULE 377 – CONTD..*

HON. CHAIRPERSON : Five Members have already read out their Matters Under Rule 377. The rest that are on the list may be taken as laid. आप सभी जल्दी से जल्दी हस्ताक्षर करके नियम-377 सभापटल पर रख दीजिए।

… (*Interruptions*)

* Treated as laid on the Table.

(vi)Regarding increase in police per Lakh Population Ratio (PPR) in Odisha

SHRIMATI APARAJITA SARANGI (BHUBANESWAR): I would like to draw your attention towards the sanctioned Police per lakh Population Ratio ("PPR") of Odisha. The revelations by the 2020 Report, 'Data on Police Organization', by the Bureau of Police Research and Development are unsettling. As opposed to the national PPR of 195.38, Odisha's PPR is 146.36. Moreover, Odisha's civil PPR is 67.28 as against the national PPR of 124.38. Adding to these alarming ratios, the actual PPR is even lower for this eleventh largest state in the country. This has allowed the breeding of various crimes in the state, largely compromising the safety and security of the people. The understaffed police force unnecessarily overburdens the existing personnel and hampers the whole system in the long run. Thus, I request the Minister of Home Affairs to seek a report from the Government of Odisha indicating their planned expenditure on police and plan of action to increase the PPR in the state.

(vii)Regarding Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana in Bihar

श्री गोपाल जी ठाकुर (दरभंगा): मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र दरभंगा सहित पूरे बिहार राज्य की प्रमुख समस्या की ओर आकृष्ट कराना चाहूंगा।

विदित हो कि राज्य में लगभग एक लाख सत्तर हजार किमी लंबाई के ग्रामीण पथ है, जिसमें से लगभग एक लाख किमी लंबाई पथ का निर्माण किया जा चुका है। जबकि पीएमजीएसवाई -3 के अन्तर्गत राज्य में मात्र 6162.50 किमी लंबाई पथ के उन्नयन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो बिहार जैसे सघन बसावट वाले राज्य के लिए काफी कम है।

राज्य को पीएमजीएसवाई -1 के तहत वर्ष - 2007-08, 2008-09, 2009-10, एवं 2010-11 में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पथों को स्वीकृति दी गई थी, परंतु समय पर आवंटन निर्गत नहीं होने के कारण इन स्वीकृत पथों के निर्माण प्रारंभ एवं पूर्ण होने में कई वर्ष लग गए। जबकि पीएमजीएसवाई -3 के दिशा निर्देश अनुसार CUCPL में पथों के design life दस वर्ष पूर्ण करने वाले पथों के ही चयन का प्रावधान है। ऐसे में पूर्व के वर्ष में स्वीकृत पथ के वास्तविक रूप से design life पूर्ण होने के बावजूद तकनीकी कारणों से इन पथों को वर्तमान में CUCPL में सम्मिलित नहीं किया जा सका है, जिस कारण कई महत्वपूर्ण पथ उन्नयन प्रस्ताव में शामिल होने से वंचित है।

बिहार राज्य की भौगोलिक स्थिति से आप अवगत है। यहां प्रत्येक वर्ष लोगों को बाढ़ जैसे प्रचंड विभीषिका का सामना पड़ता है खासकर मिथिला क्षेत्र में। यहां प्रत्येक वर्ष बाढ़ के कारण अनेकों पथ क्षतिग्रस्त होते है और पुल के अभाव में निर्मित embankment पूर्णतः आरपार कट जा रहा है। फलस्वरूप नए पुलों की आवश्यकता होती जा रही है।

अनुरोध है कि दरभंगा सहित बिहार में पीएमजीएसवाई अन्तर्गत स्वीकृत पथों में आवश्यकता अनुसार पुलों के स्वीकृति हेतु राज्य से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकृत करने एवं राज्य के लिए वर्ष 2007-08 से 2010-11 में स्वीकृत पथों के लिए design life की गणना स्वीकृत वर्षों के आधार पर करने की कृपा की जाय ।

(viii)Regarding setting up of IT sector on NTC land in Rajnandgaon Parliamentary Constituency

श्री संतोष पान्डेय (राजनंदगाँव): मेरे संसदीय क्षेत्र एवं शहर मुख्यालय राजनांदगांव में एनटीसी (नेशनल टैक्स टाइल कार्पोरेशन) के आधिपत्य लगभग 35 एकड़ भूमि वर्ष 2000 से अद्यतन रिक्त अनुपयोगी पड़ी हुई है. पूर्व में उक्त स्थान पर अंतरराष्ट्रीय स्तर की कपड़ा मिल जिसे बंगाल नागपुर कॉटन मिल (BNC मिल) के नाम से जाना जाता था. वह स्थान पूर्व में शहर के बाहर स्थित था किंतु शहर के विस्तार से उक्त भूमि अब शहर के अंदर आ चुका है. जिला उद्योग केंद्र राजनांदगांव के अधिकारियों से बैठक के उपरांत अधिकारियों ने अवगत कराया कि उद्योग के नियमों के अनुसार उक्त भूमि पर अब गैर प्रदूषित उद्योग ही संभव है. जिसमें उन्होंने आईटी सेक्टर को ही सबसे उपयुक्त मानकर भूमि को एनटीसी से हस्तांतरित अथवा लीज पर लेकर आईटी सेक्टर स्थापित करना उचित माना है.

भूमि रेल लाइन से लगी हुई है। आईटी सैक्टर की स्थापना से न सिर्फ़ भारत सरकार नए आयाम स्थापित करने के लिए प्रतिभाओं की प्राप्ति होगी, वरन स्थानीय स्तर पर भी बेरोजगारों, प्रतिभाशाली युवकों को रोजगार तथा व्यवसाय में वृद्धि होगी।

अतः मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि उक्त भूमि पर आईटी सेक्टर स्थापित हो।

(ix) Need to run classes in two shifts in Kendriya Vidyalaya Mashrak, Saran district, Bihar

श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल (महाराजगंज): मेरे संसदीय क्षेत्र महाराजगंज,बिहार अंतर्गत सारण (छपरा) जिला के मशरक में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित है। वर्तमान में इस विद्यालय में एक पाली में पढ़ाई होती है। विदित हो कि मेरा संसदीय क्षेत्र दो जिलों में विस्तारित है।

आबादी के दृष्टि से भी मेरा संसदीय क्षेत्र काफी बड़ा है। इतनी बड़ी आबादी में बच्चों के अभिभावकों के सामने अपने बच्चों को गुणवतापूर्ण शिक्षा देनी एक बड़ी चुनौती है। अधिक से अधिक अभिभावक चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छे विद्यालय में पढ़ाई करे। अच्छे विद्यालय में केन्द्रीय विद्यालय मशरक का ही नाम आता है। इसलिए केन्द्रीय विद्यालय मशरक में दो पाली की पढ़ाई शुरू करानी अत्यंत ही आवश्यक है।

अन्त में माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा आग्रह है कि केन्द्रीय विद्यालय मशरक में दो पाली में पढाई कराये जाने की व्यवस्था की जाये।

(x)Need to release arrears of salaries, gratuity and other allowances in respect of employees of Lal Imli Mill, Kanpur, Uttar Pradesh

श्री सत्यदेव पचौरी (कानपुर): मैं माननीय कपड़ा मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र कानपुर नगर में ब्रिटिश काल से चली आ रही और 2013 से बंद पड़ी ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बी.आई.सी) द्वारा संचालित लाल इमली मिल्स की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ ।

इस कपड़ा मिल के अधिकारिक रूप से बंद न किये जाने के कपड़ा मंत्रालय के निर्णय से, इस मिल में कार्यरत़ सैकड़ो श्रमिकों को पिछले चार वर्षो से वेतन का भुगतान न होने से उनके परिवार अत्यन्त दयनीय स्थिति के दौर से गुज़र रहे हैं । यहाँ तक कि सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों को उनके सेवा निवृति के लाभ नहीं मिल पा रहे हैं । इस कारण लाल इमली के श्रमिक व उनके परिवार वेतन, इत्यादि की मांग के संबंध में अनके बार आंदोलन कर चुके हैं, जिससे स्थानीय स्तर पर कानून-व्यवस्था की स्थिति गंभीर हो जाती है ।

स्थिति का इसी बात से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन श्रमिकों को अंतरिम सहायता प्रदान करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी हस्तक्षेप करना पड़ा है ।

अतः मैं माननीय कपडा मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस बंद पड़ी कपड़ा मिल को अधिकारिक रूप से बंद करने तथा उनके बकाया वेतन, इत्यादि के भुगतान के संबंध में तात्कालिक रूप से तर्कसंगत निर्णय लेने की कृपा करें ।

(xi) Need to extend the services of Inter-city train (02529/30) upto Deoria district, Uttar Pradesh

श्री रमापति राम त्रिपाठी (देवरिया): मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र देवरिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी दिशा का सबसे पिछड़ा और अंतिम जिला है। देवरिया जिला मुख्यालय से गोरखपुर की दूरी 50 कि.मी. है। गोरखपुर से प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक यात्रियों की सुविधा के लिए प्रतिदिन एक इंटर सिटी ट्रेन (02529) जाती है और शाम को (02530) वापस आती है। इस से गोरखपुर और लखनऊ के बीच के लगभग 7 जिलो की जनता इस सुविधा से लाभान्वित होती है और 1 जिला देवरिया इस सुविधा से वंचित रह जाता है। अतः मैं माननीय रेल मंत्री जी से मांग करता हूँ कि इस इंटर सिटी ट्रेन (02529) को देवरिया जिला के भटनी जंक्शन जो बिहार का बार्डर है तक बढ़ाया जाये जिसकी दूरी गोरखपुर जिले से 70 कि.मी. है जिससे इसकी सुविधा देवरिया के लोगों को भी मिल सके । लखनऊ राजधानी से प्रशासनिक तथा चिकित्सक कार्यों से जाने वाले लोग जो इस सुविधा से वंचित रह जाते है उनको भी इस सुविधा का लाभ मिल सकेगा।

(xii) Need to expedite setting up of an Airport at Dhalbhumgarh in Jamshedpur Parliamentary Constituency, Jharkhand

श्री बिद्युत बरन महतो (जमशेदपुर): मैं सरकार का ध्यान एक अतिमहत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि मेरा संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। यहां पर टाटा जैसी बड़ी कम्पनी स्थापित है। विदित है कि धालभूमगढ़ में एयरपोर्ट के निर्माण हेतु जनवरी माह, वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन राज्य मंत्री ने भूमि का पूजन किया था। इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा चुका हैं, परन्तु वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अभी तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं देने के कारण आज तक एयरपोर्ट निर्माण का कार्य शुरू नहीं हो पाया है।

अतः माननीय मंत्री नागरिक उड्डयन मंत्रालय, भारत सरकार से अनुरोध है कि वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अविलंब एन.ओ.सी. प्रदान करवाने की कृपा करें, ताकि एयरपोर्ट का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जा सके।

(xiii) Need to establish an AIIMS in Itaki, Ranchi, Jharkhand

श्री सुदर्शन भगत (लोहरदगा): जैसा कि सर्वविदित है, आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार देश में निरन्तर चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति की ओर अग्रसर है। इसी श्रंखला में देशभर के विभिन्न राज्यों में 13 AIIMS स्थापित करने की कल्याणकारी घोषणा की गई थी। इसी निमित्त झारखण्ड राज्य में AIIMS, देवघर देने के लिए आपका हृदय से अभिनन्दन है।

मैं सरकार का ध्यान झारखण्ड राज्य मध्य भाग,अर्थात रांची की आकर्षित करना चाहता हूँ। आप जानते ही हैं, झारखण्ड राज्य में चिकित्सा सुविधाएँ बहुत अच्छी नहीं हैं,यहाँ से अधिकांश रोगी समुचित इलाज हेतु आज भी, वेल्लोर,तमिलनाडु,दिल्ली,कोलकता व मुंबई इत्यादि महानगरों पर निर्भर हैं। अतः सम्पूर्ण झारखण्ड में समान व समुचित स्वास्थ्य सेवाएँ मिल सकें, इस पत्र के माध्यम से झारखण्ड राज्य में रांची अथवा रांची के आसपास दूसरे AIIMS की स्थापना किये जाने की मांग रखना चाहता हूँ।

रांची स्थित सेंट इग्नेशियश टी.बी. सेनिटोरियम, इटकी में नए AIIMS के लिए पर्याप्त, उपयुक्त एवं समुचित स्थान हो सकता है। यहाँ AIIMS की स्थापना होने से झारखण्ड राज्य के उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर, पलामू व कोल्हान सहित सभी प्रमंडल लाभान्वित हो सकेंगे। राज्य के केंद्र व राज्य की राजधानी होने के कारण यहाँ पहुँचने में रोगियों को अधिक सुविधा होगी। अच्छे स्तर की स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में रह रहे, सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य वासियों को इसका बहुत लाभ मिल सकेगा, अन्य राज्यों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी, उच्च स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं से जनता लाभान्वित हो सकेगी।

अतः मेरा विनम्र निवेदन है,कृपया उपरोक्त स्थिति के आलोक में झारखण्ड राज्य को एक और AIIMS देकर हम सभी को कृतार्थ करें, आपको स्मरण हो तो, इस सम्बन्ध में देशभर में सरकार द्वारा एक साथ हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों की घोषणा के समय भी निवेदन किया गया था। अतः लोकहित में पुनः अनुरोध है, कृपया रांची के इटकी क्षेत्र में एक अतिरिक्त AIIMS की स्थापना करने हेतु, जनहित में मेरी मांग स्वीकार करें।

(xiv)Need to construct railway line between Bilara and Bar in Rajasthan

श्री पी. पी. चौधरी (पाली): मैं सरकार का ध्यान वर्ष 1997 में तत्कालीन रेल मंत्री श्री रामविलास पासवान जी द्वारा जोधपुर जिले मे बिलाड़ा से बर नई रेल लाईन के बारे में की गई घोषणा की ओर आकर्षित करते हुए बताना चाहूगां कि उक्त योजना का शिलान्यास किया जा चुका है, लेकिन कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हो सका। बिलाड़ा से बर की दूरी केवल 40 कि. मी. मात्र है, यदि इन दोनों स्थानो को रेलवे लाईन से जोड़ दिया जाता है तो हजारों की संख्या में लोगों को रेल सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा व जोधपुर-जयपुर-दिल्ली की दूरी भी बहुत कम होगी तथा जोधपुर से अजमेर को बेहतर कनेक्टिविटि मिल सकेगी। इस सम्बन्ध में पश्चिमी राजस्थान के एम्स-जोधपुर, उद्योग विभाग, आर्मी हैडक्वाटर, जय नारायण व्यास विश्व विद्यालय, आदि महत्वपूर्ण संस्थानों द्वारा भी इस प्रोजेक्ट के महत्व व आश्वयकता के बारे में लिखित रूप से बताया है। यह लाईन सामरिक दृष्टि से भी विशेष महत्व रखती है।

इस सम्बन्ध में रेल मंत्रालय द्वारा कई बार सर्वे भी कराया जा चुका है। रेलवे बोर्ड द्वारा इसे सहमति के साथ प्लानिंग कमीशन में भेज दिया गया था, लेकिन प्लानिंग कमिशन द्वारा इस योजना को ''कोमर्शियली नॉन वाईबल'' बताकर छोड़ दिया गया था।

अब इस क्षेत्र में काफी मात्रा में लाईम स्टोन, सीमेंट हैण्डीक्राफ्ट आदि के उद्योग विकसित हो चुके है। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्वस्तरीय राष्ट्रीय राजमार्ग भी इस क्षेत्र से होकर बनाया गया है।

अतः मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वर्षो से लम्बित बिलाड़ा-बर रेल लाईन को जल्द पूरी करने के निर्देश प्रदान करने की कृपा करें।

(xv)Need to convert Godhra-Shamlaji Highway into six lane

श्री रतनसिंह मगनसिंह राठौड़ (पंचमहल): मैं माननीय सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी का ध्यान गुजरात राज्य के गोधरा-शामलाजी राज्यीय राजमार्ग की तरफ दिलाना चाहता हूं जो कि गोधरा (जिला पंचमहल), लुनावाड़ा (जिला महिसागर), शमलाजी (जिला अरावली) से होते हुए राजस्थान को जाता है। यह राजमार्ग 4 लेन है जबकि ज्यादा वाहनो के आवागमन के कारण इस मार्ग पर भारी यातायात होता है जिससे यात्रियों का ज्यादा समय नष्ट होने के साथ-साथ आए दिन दुर्घटना होने की अधिक संभावना बनी रहती हैं। इस लिए इस मार्ग को 4 लेन से 6 लेन किया जाना नितांत आवश्यक है। यदि इस राजमार्ग को 6 लेन में परिवर्तित किया जाता है इससे NH-8 के काफी यात्री इस मार्ग का इस्तेमाल करेंगे जिससे NH-8 पर भी यातायात भार कम होगा । मेरा सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री जी से निवेदन है कि अपने मंत्रालय से इस मार्ग के लिए गुजरात सरकार को धनराशि देने की कृपा करें ताकि इस मार्ग को 6 लेन में परिवर्तित किया जा सके।

(xvi) Regarding stoppage of trains at Wadsa railway station, Gadchiroli district

श्री अशोक महादेवराव नेते (गड़चिरोली-चिमुर): मेरा संसदीय क्षेत्र गड़चिरोली-चिमुर कई सौ कि.मी. लंबे क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा आदिवासी संसदीय क्षेत्र है। यह क्षेत्र अत्यधिक पिछड़ा और घना आदिवासी बाहुल्य नक्सल प्रभावित दुर्गम और अविकसित क्षेत्र है। गड़चिरोली जिले में केवल एकमात्र रेलवे स्टेशन वड़सा में है।

मेरे संसदीय क्षेत्र के लोगों का वड़सा स्थित रेलवे स्टेशन से ही रेलगाड़ियों में आवागमन होता है लेकिन वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाडियों का ठहराव न होने की वजह से क्षेत्र के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विगत काफी समय से क्षेत्र के लोगों द्वारा वड़सा रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाडियों के ठहराव दिए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन अब तक उनकी मांग को स्वीकार नहीं किया गया है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह नक्सलवाद से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र गडचिरोली जिले के वड़सा स्थित रेलवे स्टेशन पर सभी रेलगाड़ियों के ठहराव दिए जाने हेतु निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

(xvii) Regarding shortage of vaccines in Kerala

SHRI T. N. PRATHAPAN (THRISSUR): There is serious scarcity of vaccines in Kerala. The first Covid 19 case was reported in the country in Kerala. There are thousands of new cases everyday and TPR is more than 10% for the past few weeks, 57% of population is not as yet hit by the Coronavirus according to an ICMR survey. To prevent the spread of the pandemic, the most practical way is vaccination, because state and its people cannot afford the loss that they face during the lockdowns. To run vaccination drive, state needs more vaccines. It had managed to buy vaccines in the first phase. And Kerala also utilized all vaccine doses received from centre with utmost care to not waste a single drop. Now the situation is very serious, State needs 60 lakh vaccine doses for this week. Central Government should release the required doses to Kerala.

(xviii) Regarding opening a new ESI Hospital in Ludhiana

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Ludhiana is one of the largest industrial hubs of India with a large number of MSME industries. Its population is ever increasing and thus requirement of affordable health services is also rising. At present, Ludhiana has only one ESI Hospital catering to the needs of the people residing in the city. There is immense pressure on this ESI Hospital and of late, there is a huge waiting list for various medical treatment and procedures which have piled up and people are suffering due to lack of adequate treatment. This hospital is in urgent need of upgradation and modernization.

I urge upon the Government for expansion of the ESI Hospital at Ludhiana and its modernization with the latest medical equipment. I also request for opening of a new ESI Hospital in Ludhiana which can go a long way in providing timely and proper medical facilities to the people of Ludhiana.

(xix) Regarding handing over HLL Biotech Limited unit to Tamil Nadu

DR. T. SUMATHY (A) THAMIZHACHI THANGAPANDIAN (CHENNAI SOUTH): It is shocking to learn that the state-of-the-art Integrated Vaccine Complex (IVC) at Chengalpattu near Chennai has not only been lying idle but also not manufactured a single vaccine in the past nine years. It was supposed to produce life saving and cost-effective vaccines primarily to minimize the demand-supply gap in the Universal Immunization program. The current production rate of Covid Vaccines in India does not match with the increasing demands. It is very important to increase the domestic production of vaccines by utilizing the unused HLL Biotech Limited (HBL), Chengalpattu for vaccine production. Our beloved Chief Minister of Tamil Nadu has requested the Union Government to hand over the facility to Tamil Nadu government on lease for production of COVID-19 vaccines to balance the supply and demand. Considering the pandemic situation and high urgency of vaccination, I urge the Union Government to handover the HLL Biotech unit to Tami Nadu government on lease for production of COVID-19 vaccines without any further delay. In the same manner I also urge the Government to re-commence the production of vaccines at Pasteur Institute, Coonoor in Tamil Nadu.

(xx) Regarding inclusion of eligible persons under NFSA

SHRI MARGANI BHARAT (RAJAHMUNDRY): GOI is on record saying that coverage under NFSA has to be determined by States and the criteria for identification of priority households and their actual identification is the responsibility of concerned State Government. In pursuance of this, GoAP conducted transparent door-to-door survey and issued 1.47 crore PDS cards covering 4.3 crore eligible beneficiaries as per NFSA norms and as per increase in population after 2011. But, due to artificial ceiling erroneously put by GOI, AP is at the receiving end and rice is given to only 0.91 crore ration card holders covering just 2.68 crore units against earlier 3.92 units and revised 4.3 crore units under NFSA. So, I request Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution to revisit the present population coverage ratios and include all the eligible 1.47 crore Ration Cards of 4.3 crore units under NFSA priority households in true spirit of NFSA, 2013.

(xxi) Regarding pension under EPS-95 Scheme

DR. SHRIKANT EKNATH SHINDE (KALYAN): Standing Committee on Labour and High Powered Committee on EPFO had recommended the increase in the amount of pension given under EPS-95 Scheme. Additionally, the Supreme Court through an order dated April 2019 had also raised concerns about the pension amount under EPS-95. Currently, there are more than 67 lakh pensioners under EPS-95 and through their hard work and commitment they have played an important role in the development of our country. I request the Government to consider their demands and accept the recommendations of Koshiyari Committee by increasing the basic pension amount to Rs.7500 per month along with Dearness Allowance and free medical facilities to their families which will enhance their quality of life and grant them financial assistance during their old age. In addition to this the retired employees who were not added to this scheme in the past should also be included on humanitarian grounds along with a minimum pension of 5000 rupees.

(xxii) Need to expedite the implementation of City Gas Distribution Scheme in Bihar

श्री चन्देश्वर प्रसाद (जहानाबाद): हम सब को यह ज्ञात है कि भारत सरकार का फोकस गैस आधारित अर्थव्यवस्था पर है। यह सरकार की स्वच्छ ऊर्जा के प्रति एक अच्छी पहल है। जब शहर में गैस पहुंचती है, तो वो एक नए इकोसिस्टम का निर्माण करती है। उस शहर में गैस आधारित उद्योगों की स्थापना की संभावना बढ़ती है। पाइप के जरिए सीधे लोगों के घरों में पहुंचने वाली गैस लोगों का जीवन आसान बनाती है। पाइप को बिछाने के लिए हजारों युवाओं को रोजगार मिलता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड ने मार्च 2019 में घोषणा की कि बिहार के 28 जिलों में अगले दो साल में सीएनजी-पीएनजी मिलने लगेगी। पटना से झारखंड जाने वालों के लिए रास्ते के सभी जिलों में सीएनजी स्टेशन होने थे। इनमें बिहार के 26 जिलों में काम आईओसीएल को मिला। जहानाबाद, अरवल एवं गया सहित अन्य जिलों में दो साल में सीएनजी-पीएनजी स्टेशन चालू करने का लक्ष्य था।

आईओसीएल को काम मिले 28 महीने से ज्यादा होने को आए हैं परंतु घरों तक पाईप से गैस पहुंचाने की दिशा में कोई प्रगति नही है। जहानाबाद, अरवल सहित बिहार के लोग पाईप गैस की बाट जोह रहे हैं।

मेरा माननीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी से आग्रह है कि एक विशेष टीम को सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना के काम में लगाएं ताकि तेज गति से यह योजना पूरी हो सके और क्षेत्र की जनता को जल्द लाभ मिले।

(xxiii) Regarding utilization of land vested with HPCL at Edapallycottah, Kollam

SHRI N.K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): An extent of 27 Acres and 6 Acres of landed property are vested with HPCL at Edapallycottah, Kollam. The property is situated in the prime location adjacent to National Highway. The property is not properly protected and there is every chance for encroachment. It is not fair and proper to give up prime property of HPCL. Central Public undertakings are facing much difficulties to find out land for their development. It is highly essential to find out a project for the proper utilisation of the land. If HPCL is not in a position to utilize the land for development, it is reasonable to hand over the land for the development of Central Government project.

Hence, I urge upon the Government to implement a project immediately to utilize the land vested with HPCL at Edapallycottah, Kollam, either through the HPCL or some other Central Government agencies.

14.32 hrs

STATUTORY RESOLUTION RE: DISAPPROVAL OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

AND

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE (AMENDMENT) BILL, 2021

HON. CHAIRPERSON : Now, we will take up Items 13 and 14 for consideration.

Shri Amar Singh Ji – Not there.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Prof. Saugata Roy – not there.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri M. K. Raghavan.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Jasbir Singh Gill.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. Dean Kuriakose.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Benny Behanan.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Adhir Ranjan Chowdhury.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. Adoor Prakash.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Manish Tewari.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Suresh Kodikunnil.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Faizal P.P. Mohammed.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Viayak Bhau Raut.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N. K. Premachandran.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kumbakudi Sudhakaran.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri P. R. Natarajan.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adv. A.M. Arif.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri T.N. Prathapan.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri E.T. Mohammed Basheer.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Thomas Chazhikadan.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Hibi Eden.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Now, hon. Minister.

… (*Interruptions*)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (RAO INDERJIT SINGH): Sir, on behalf of Shrimati Nirmala Sitharaman, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, be taken into consideration."

माननीय सभापति : मंत्री जी, क्या आप इस बिल के संबंध में कुछ कहना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

श्री राव इंद्रजीत सिंह : महोदय, बैंकरप्ट्सी कोड बिल को लागू हुए पांच साल हो गए हैं। इन पांच सालों के दौरान ईज़ आफ डूइंग बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की हुई है।… (व्यवधान) मैं आपको बताना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार इस बिल से पहले ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंकिंग 108वीं थी और इस बिल के आने के उपरांत पांच साल में वर्ष 2020 में हमारी रैंकिंग 57 है।… (व्यवधान) पहले रिकवरी के लिए 4.3 साल लगते थे और इस बिल के पास हो जाने के उपरांत केवल 1.6 साल रिकवरी करने के लिए लगते हैं। जो रिजॉल्विंग इनसॉल्वेंसी इंडिकेटर है, उसमें पहले हम 108वें नम्बर पर थे, उसमें अब हम 52वें नम्बर पर आ गए हैं। कोविड की वजह से हमारे देश में मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ आपत्ति महसूस हुई, जिसे रिजॉल्व

करने के लिए हमने यह उचित समझा कि आज के दिन इसमें कुछ अमेंडमेंट करने की जरूरत है।... (व्यवधान) ऑर्डिनेंस पास किया गया और उस आर्डिनेंस को रिप्लेस करने के लिए आज यह बिल सदन के सामने पेश किया जाता है।

सभापति जी, मेरा सदन से निवेदन है कि इस अमेंडमेंट बिल को पास किया जाए।... (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

... (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

... (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Most of the hon. Members are in the well of the House, but still, I will call their names.

Shri Jasbir Singh Gill

... (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri Kodikunnil Suresh

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Shri N.K. Premachandran

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है **:**

"कि खंड 2 से 18 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 18 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

RAO INDERJIT SINGH: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

14.38 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Fifteen of the Clock.

15.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Fifteen of the Clock.

(Shri Rajendra Agrawal *in the Chair*)

… (व्यवधान)

15.00 ½ hrs

At this stage, Shri Gurjeet Singh Aujla, Shri Kalyan Banerjee, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

15.01 hrs

DEMANDS FOR SUPPLEMENTARY GRANTS, 2021-2022
AND
DEMANDS FOR EXCESS GRANTS, 2017-2018

माननीय सभापति : आइटम नंबर 15 और 16, अनुदानों की अनुपूरक मांगें, अतिरिक्त अनुदानों की मांगें।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा में अनुदानों की अनुपूरक मांगों – प्रथम बैच (2021-22) को चर्चा तथा मतदान के लिए लिया जाएगा।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए **:**

> "कि अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में मांग संख्या 3, 4, 6 से 10, 15, 17, 20, 24, 25, 27 से 29, 31, 34, 35, 40, 42 से 46, 50, 54, 55, 59, 61, 64, 67, 69, 73, 75, 77, 84, से 88, 91, 92, 94, 95, 97, 100 और 101 के सामने दर्शाए गए मांग शीर्षों के संबंध में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान संदाय के क्रम में होने वाले खर्चों की अदायगी हेतु अनुदानों की अनुपूरक मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अनुपूरक राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं।"

777

~~लोक सभा LOK SABHA~~

~~सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2021-2022 की अनुदानों की पूरक मांगों के पहली बैच की सूची~~

List of Supplementary Demands for Grants-First Batch for 2021-2022 ~~to be~~ submitted to the Vote of ~~the House~~ Lok Sabha

~~संख्या और मांग का शीर्षक~~ No. and Title of the Demand		~~सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि~~ Amount of Demand for Grant ~~to be~~ submitted to the Vote of the House		
1	2	3		
		~~राजस्व~~ Revenue ₹	~~पूंजी~~ Capital ₹	~~कुल~~ Total ₹
3 परमाणु ऊर्जा विभाग	3 Atomic Energy	...	600,00,00,000	600,00,00,000
4 आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	4 Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	2,00,000	...	2,00,000
6 उर्वरक विभाग	6 Department of Fertilisers	1,00,000	...	1,00,000
7 भेषज विभाग	7 Department of Pharmaceuticals	1083,21,00,000	139,00,00,000	1222,21,00,000
8 नागर विमानन मंत्रालय	8 Ministry of Civil Aviation	178,24,00,000	1872,00,00,000	2050,24,00,000
9 कोयला मंत्रालय	9 Ministry of Coal	1,00,000	...	1,00,000
10 वाणिज्य मंत्रालय	10 Department of Commerce	4,00,000	1,00,000	5,00,000
15 खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	15 Department of Food and Public Distribution	1100,00,00,000	...	1100,00,00,000
17 संस्कृति मंत्रालय	17 Ministry of Culture	1,00,000	1,00,000	2,00,000
20 रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	20 Capital Outlay on Defence Services	...	1,00,000	1,00,000
24 विद्यालयी शिक्षा और साक्षरता विभाग	24 Department of School Education and Literacy	4,00,000	...	4,00,000
25 उच्चतर शिक्षा विभाग	25 Department of Higher Education	3,00,000	...	3,00,000
27 पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change	1,00,000	...	1,00,000
28 विदेश मंत्रालय	28 Ministry of External Affairs	370,00,00,000	...	370,00,00,000
29 आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs	1,00,000	2641,67,00,000	2641,68,00,000
31 वित्तीय सेवाएं विभाग	31 Department of Financial Services	1750,00,00,000	...	1750,00,00,000
34 प्रत्यक्ष कर	34 Direct Taxes	...	1,00,000	1,00,000
35 अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes	2,00,000	...	2,00,000
40 राज्यों को अंतरण	40 Transfers to States	...	158999,99,00,000	158999,99,00,000
42 पशुपालन और डेरी कार्य विभाग	42 Department of Animal Husbandry and Dairying	3,00,000	...	3,00,000
43 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	43 Ministry of Food Processing Industries	1,00,000	...	1,00,000
44 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	44 Department of Health and Family Welfare	15917,89,00,000	545,66,00,000	16463,55,00,000
45 स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	45 Department of Health Research	526,28,00,000	...	526,28,00,000
46 भारी उद्योग विभाग	46 Department of Heavy Industry	1,00,000	110,05,00,000	110,06,00,000
50 पुलिस	50 Police	2,00,000	1,00,000	3,00,000
54 लद्दाख	54 Ladakh	11,00,000	...	11,00,000
55 लक्षद्वीप	55 Lakshadweep	1,00,000	...	1,00,000
59 आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय	59 Ministry of Housing and Urban Affairs	...	2,00,000	2,00,000
61 जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग	61 Department of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	50,00,00,000	...	50,00,00,000
64 विधि और न्याय मंत्रालय	64 Law and Justice	23,25,00,000	...	23,25,00,000
67 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय	67 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	2,00,000	...	2,00,000
69 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	69 Ministry of Minority Affairs	1,00,000	...	1,00,000
73 कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय	73 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	2,00,000	...	2,00,000
75 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	75 Ministry of Petroleum and Natural Gas	1,00,000	...	1,00,000
77 पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय	77 Ministry of Ports,Shipping and Waterways	1,00,000	...	1,00,000
84 रेल मंत्रालय	84 Ministry of Railways	...	1,00,000	1,00,000
85 सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	85 Ministry of Road Transport and Highways	...	1,00,000	1,00,000
86 ग्रामीण विकास विभाग	86 Department of Rural Development	2,00,000	...	2,00,000
87 भूमि संसाधन विभाग	87 Department of Land Resources	1,00,000	...	1,00,000

778

2

1	2		3		
		राजस्व Revenue ₹	पूंजी Capital ₹	जोड़ Total ₹
88 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	88 Department of Science and Technology	1,00,000	...	1,00,000
91 कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय	91 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	1,00,000	10,01,00,000	10,02,00,000
92 सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	92 Department of Social Justice and Empowerment	3,00,000	...	3,00,000
94 अंतरिक्ष विभाग	94 Department of Space	1,00,000	1,00,000	2,00,000
95 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	95 Ministry of Statistics and Programme Implementation	1172,50,00,000	...	1172,50,00,000
97 वस्त्र मंत्रालय	97 Ministry of Textiles	2,00,000	66,21,00,000	66,23,00,000
100 महिला और बाल विकास मंत्रालय	100 Ministry of Women and Child Development	2,00,000	...	2,00,000
101 युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	101 Ministry of Youth Affairs and Sports	43,72,00,000	1,00,000	43,73,00,000
जोड़	**Total**	**22215,68,00,000**	**164984,70,00,000**	**187200,38,00,000**

माननीय सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए **:**

"कि अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 2 में दर्शाए गए मांग शीर्ष संख्या 20, 21 और 39 के संबंध में 31 मार्च, 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में संदाय के दौरान हुए खर्चों की अदायगी करने हेतु अनुदानों की अतिरिक्त मांगों की सूची के स्तम्भ 3 में दर्शायी गयी राजस्व लेखा तथा पूँजी लेखा संबंधी राशियों से अनधिक संबंधित अतिरिक्त राशियां भारत की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जाएं ।"

781

780

~~लोक सभा LOK SABHA~~

~~सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली वर्ष 2017-18 की अतिरिक्त अनुदानों की मांग सूची~~
List of Demands for Excess Grants for 2017-18 ~~to be~~ submitted to the Vote of ~~the House~~ Lok Sabha

~~संख्या और मांग का शीर्षक~~ No. and Title of the Demand		~~सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली अनुदानों की मांगों की राशि~~ Amount of Demand for Grant ~~to be~~ submitted to the Vote of the House		
1	2	3		
		~~राजस्व~~ Revenue ₹	~~पूंजी~~ Capital ₹	~~जोड़~~ Total ₹
20. रक्षा सेवाएं	20 Defence Services	3391,93,47,444	...	3391,93,47,444
21. रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	21 Capital Outlay on Defence Services	...	3552,71,69,143	3552,71,69,143
39. पेंशन	39 Pensions	127,61,61,842	...	127,61,61,842
जोड़	Total	**3519,55,09,286**	**3552,71,69,143**	**7072,26,78,429**

.... (अवधान)

माननीय सभापति : अनुदानों की अनुपूरक मांगों पर श्री हनुमान बेनीवाल का एक कटौती प्रस्ताव परिचालित किया गया है। क्या माननीय सदस्य अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं?

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put the Supplementary Demands for Grants – First Batch for 2021-22 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2022 in respect of the heads of demands entered in the Second column thereof against Demand Nos. 3, 4, 6 to 10, 15, 17, 20, 24, 25, 27 to 29, 31, 34, 35, 40, 42 to 46, 50, 54, 55, 59, 61, 64, 67, 69, 73, 75, 77, 84 to 88, 91, 92, 94, 95, 97, 100 and 101."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: I shall now put the Demands for Excess Grants for 2017-2018 to the vote of the House.

The question is:

"That the respective excess sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the third column of the Order Paper be granted to the President, out of the Consolidated Fund of India, to make good the excess on the respective grants during the year ended on the 31st day of March, 2018, in respect of the heads of Demands entered in the second column thereof against Demand Nos. 20, 21 and 39."

The motion was adopted.

… (*Interruptions*)

15.03 hrs

APPROPRIATION (NO.4) BILL, 2021 *

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-2022.… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : प्रश्न यह है **:**

> "कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.… (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Let us now take up item No. 18.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section-2, dated 28.07.2021.

** Introduced with the recommendation of the President.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of India for the services of the financial year 2021-2022, be taken into consideration."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है **:**

"कि वित्तीय वर्ष 2021-2022 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

… (व्यवधान)

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

15.07 hrs

APPROPRIATION (NO.3) BILL, 2021*

HON. CHAIRPERSON: Item No. 19. Hon. Minister.

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2018, in excess of the amounts granted for those services and for that year.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

> "कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I introduce** the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Item No. 20. Hon. Minister.

---

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part –II, Section-2, dated 28.07.2021.

** Introduced with the recommendation of the President.

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN : Sir, I beg to move:

"That the Bill to provide for the authorization of appropriation of moneys out of the Consolidated Fund of India to meet the amounts spent on certain services during the financial year ended on the 31st day of March, 2018, in excess of the amounts granted for those services and for that year, be taken into consideration."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि 31 मार्च, 2018 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कतिपय सेवाओं हेतु अनुदत्त राशियों से अधिक जितनी राशियां उक्त वर्ष के दौरान उन सेवाओं पर व्यय की गयी हैं, उनके भुगतान के लिए भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग प्राधिकृत करने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 और 3 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

SHRIMATI NIRMALA SITHARAMAN: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : कृपया आप सब बैठ जाइए। प्लीज, आप अपनी सीट्स पर जाइए। आप सब कृपया अपनी सीट्स पर जाएं। अपनी बात रखिए, शांतिपूर्वक बात रखिए। आपको पूरा अधिकार है। आपका वह कर्त्तव्य भी है।

… (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Please go back to your seats. I again and again appeal to you to go back to your seats.

… (*Interruptions*)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही 4 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

15.09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Sixteen of the Clock.

16.00 hrs

The Lok Sabha reassembled at Sixteen of the Clock.

(Shrimati Rama Devi *in the Chair)*

… (व्यवधान)

16.01 hrs

At this stage, Shri D.K. Suresh, Shrimati Kanimozhi Karunanidhi, Shri Kalyan Banerjee and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण, मैं आपको बड़े सम्मान एवं आदर सहित कहना चाहती हूँ कि आप अपनी-अपनी सीट्स पर बैठ जाएं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : आप लोग बैठ जाएं। जो कुछ कहना है, हम लोग उसको सुनेंगे।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : अच्छा, बंद करने पर आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं। हम लोग आपको खुश कर दें? चलिए, आज खुश कर देते हैं।

… (व्यवधान)

माननीय सभापति : सभा की कार्यवाही गुरूवार, दिनांक 29 जुलाई, 2021 को प्रात: 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

… (व्यवधान)

16.02 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 29, 2021/Sravana 7, 1943 (Saka).

INTERNET

The Original Version of Lok Sabha proceedings is available on Parliament of India Website and Lok Sabha Website at the following addresses:

http://www.parliamentofindia.nic.in

http://www.loksabha.nic.in

LIVE TELECAST OF PROCEEDINGS OF LOK SABHA

Lok Sabha proceedings are being telecast live on Lok Sabha T.V. Channel. Live telecast begins at 11 A.M. everyday the Lok Sabha sits, till the adjournment of the House.

Published under Rules 379 and 382 of the Rules of Procedure and Conduct of Business

in Lok Sabha (Sixteenth Edition)